कूर्मि चेतना जागृति

कूर्मि समाज द्वारा अधिकत्तर पूछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान पर आधारित

(संस्करण-प्रथम, नवम्बर 2019)

कूर्मि कुल गौरव तथागत बुद्ध

कूर्मि कूल गौरव और विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक, बौद्ध धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक तथागत बुद्ध का जन्म ईशा पूर्व 563 को लुम्बिनी (नेपाल) में हुआ तथा ईसवी पूर्व 483 को 80 वर्ष की उम्र में वे कुशीनगर (भारत) में महानिर्वाण प्राप्त किए। तथागत बुद्ध शांख्य वंशी कूर्मि क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल अंतर्गत है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे **गौतम** भी कहलाए। उनके पिता **मल्ल वंशी कूर्मि क्षत्रिय** राजा शुद्धोधन थे।

पं क्र.- छ.ग. राज्य/37, दिनांक 06.10.2001

छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

पंजीकृत मुख्यालय - डॉ. कौशिक क्लीनिक, अशोक नगर, सीपत रोड, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन : 09826165881, 09425522629, ई-मेलः **kurmi.chetna01@gmail.com**

98271-57927 https://www.facebook.com/kurmi.chetna01

कूर्मि चेतना जागृति

कूर्मि समाज द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान पर आधारित

संपादक मंडल

कूर्मि डॉ. निर्मल नायक,

प्रबंध संपादक व प्रदेशाध्यक्ष-छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

कूर्मि बी. आर. कौशिक

प्रधान संपादक

मो. 7000992193

कूर्मि सिद्धेश्वर पाटनवार

उप प्रधान संपादक

मो. 9300851771

कूर्मि डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल

संपादक सह प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

मो. : 9425522629

सम्पादक मण्डल सदस्य :

कूर्मि भरत लाल वर्मा, कूर्मि कोमल पाटनवार ,

कूर्मि श्रीमती भगवती चन्द्राकर, कूर्मि चन्द्रशेखर चकोर, कूर्मि अनिल चंद्राकर

प्रकाशन वित्तीय एवं मार्केटिंग प्रबंधन दल

कूर्मि डॉ. हेमंत कौशिक, कूर्मि लक्ष्मी कुमार गहवई, कूर्मि राजेन्द्र चन्द्राकर,

कूर्मि प्रदीप कौशिक, कूर्मि सुखनंदन कौशिक (प्रदेश कोषाध्यक्ष-छ.ग. कू.क्ष.चेतना मंच)

कूर्मि नंदिनी पाटनवार, कूर्मि गेंदराम कश्यप, कूर्मि विश्वनाथ कश्यप, कूर्मि देवी चन्द्राकर,

कूर्मि तोखन चन्द्राकर, कूर्मि मिथलेश सिंगरौल, कूर्मि ईश्वरी चंद्राकर।

अक्षर संगणक एवं मुद्रक

कूर्मि अनिल चन्द्राकर

क्रियेटिव कम्प्यूटर एण्ड ग्राफिक्स एवं प्रिंटर्स

तात्यापारा, रायपुर (छ.ग.) मो. 9329111036

प्रकाशक

छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच, बिलासपुर

RAMESH BAIS
GOVERNOR

रमेश बैस
राज्यपाल

RAJ BHAVAN
AGARTALA-799 010
Tel. : 0381-241-4091
0381-241-0217
Fax : 0381-241-0026
राज भवन
अगरतला–799 010
दूरभाष: 0381-241-4091
0381-241-0217
फैक्स: 0381-241-0026
E-mail : rajbhavanagt@gmail.com
: rajbhavanagt-tr@gov.in

अक्टूबर 17th, 2019

संदेश

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में त्रिदिवसीय "कूर्मि महाधिवेशन" व "सरदार पटेल जयंती" का आयोजन छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कूर्मि समाज में इसका वृहद लाभ होगा।

इस अवसर पर स्मारिका "कूर्मि चेतना जागृति" के प्रकाशन से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा साथ ही इससे समाज में वैज्ञानिक चिंतन व सामाजिक चेतना का विकास होगा।

मैं कूर्मि चेतना जागृति स्मारिका के सफल विमोचन एवं इसके उद्देश्यों की पूर्ति की कामना करता हूँ।

(रमेश बैस)

कूर्मि डॉ0 जीतेन्द्र सिंगरौल,
प्रदेश महासचिव सह संपादक,
छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच,
डॉ0 हेमंत कौशिक, निरामय चिकित्सा केन्द्र,
अशोक नगर, सीपत रोड, सरकण्डा,
बिलासपुर–495 006
छत्तीसगढ़।

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel
CHIEF MINISTER

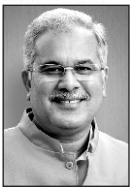

मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़
फोन: +91 (771) 2221000, 2221001
ई–मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001
E-mail : cmcg@nic.in

Do.No. ....507........ Date 23/10/2019

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर तीन दिवसीय ''कूर्मि महाधिवेशन'' एवं ''सरदार पटेल जयंती पखवाड़ा समारोह'' का आयोजन 10 से 12 नवम्बर, 2019 तक किया जा रहा है।

हमारे पुरखों के योगदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलें ताकि आने वाली नवपीढ़ी, समाज व देश के विकास में महती योगदान दे सकें। छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय समाज एक जागरूक समाज है। छत्तीसगढ़ के विकास में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्मारिका में वैज्ञानिक चिंतन व सामाजिक विकास जैसे विषय का समावेश किया जाना सराहनीय प्रयास है।

आयोजन एवं प्रकाशन अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।

(भूपेश बघेल)

धरमलाल कौशिक
DHARAMLAL KAUSHIK

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
LEADER OF OPPOSITION, CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

क्र. 815 A / ने.प्र. / 2019

दिनांक 23-10-19

-संदेश-

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में कूर्मि समाज को दिशा प्रदान करने त्रिदिवसीय ''**कूर्मि महाधिवेषन**'' का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से निश्चित तौर पर समाज लाभान्वित होगा।

इस अवसर पर प्रकाशित ''कूर्मि चेतना जागृति'' स्मारिका कूर्मि समाज के शंकाओं का समाधान करेगा। निःसंदेह यह स्मारिका समाज विकास के लिए उत्कृष्ट अभिलेख व संग्रह योग्य अंश होगा।

मैं इस स्मारिका प्रकाशन पर अशेष बधाईयाँ व शुभकामनाएँ .....

(धरम लाल कौशिक)

प्रति,
डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल,
संपादक सह प्रदेश महासचिव
छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

सी-1/10, आनंद नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, रायपुर-492001 (छ.ग.) फोन : 0771-2331055, फेक्स : 2331064
C-1/10, ANAND NAGAR, OFFICERS COLONY, RAIPUR - 492001 (C.G.) Phone : 0771-2331055, Fax : 2331064

स्थापना वर्ष : 1894

पंजीयन क्र. 220/1984-85

अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा

All India Kurmi Kshatriya Mahasabha

कूर्मि एल.पी. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष फो.: 0755-2612651, मो.: 9425392434

पता : सरदार पटेल स्मारक, अतिथि निवास, एस 14, अंधरापुल, वाराणसी (उ.प्र.) फोन: 0542-2574434

केन्द्रीय कार्यालय :22, वसुन्धरा कॉलोनी, बैंक कॉलोनी के पीछे, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) फोन : 0755-2574434

क्र. अ भा.कू.क्ष.महासभा/

दिनांक...31-10-2019

-संदेश-

छत्तीसगढ़ में विगत 25 वर्षों से समाज को जागृत व संगठित करने हेतु प्रयत्नशील संस्था **छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच** के रजत जयंती के अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय ''**कूर्मि महाधिवेशन**'' की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।

इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका ''**कूर्मि चेतना जागृति**'' कूर्मि चेतना पंचाग की तरह एक मील का पत्थर साबित होगा। निःसंदेह यह स्मारिका समाज विकास के लिए बेहतरीन दस्तावेज व संग्रह योग्य कलेवर होगा।

मैं इस स्मारिका प्रकाशन परअशेष बधाईयाँ व शुभकामनाएँ.....

कूर्मि एल.पी.पटेल
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिल भारतीय कूर्मि-क्षत्रिय महासभा

प्रति,
कूर्मि डॉ. निर्मल नायक,
प्रदेशाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

ALL INDIA KURMI KSHATRIYA MAHASABHA
Central Office: 22, Vasundhara Colony, Behind Bank Colony, Jahangirabad, Bhopal
(M.P.), Phone: 0755-2574434 | Mobile: 94251-75550

Kurmi Dr. Vijay Singh Niranjan
M.Sc., L.L.B., Ph.D., I.A.S. (Retd.)

National General Secretary

MESSAGE

It is a matter of great pride that**"Kurmi Chetana Panchang"** is being published by the ChattisgarhKurmi Kshatriya Chetana Manch from the historic and religious location of Ratanpur, District Bilaspur, Chattisgarh.

For the past many years, the Panchang has played an important role in integrating our Kurmibrethen across the country. I am sure that the publication of the Panchang this year along with the "Smarika" will play an even more important role in connecting and developing the Kurmi Kshatriya Samaj.

The panchang has information related to the ancient historical and current information and will be certainly useful to all ages of our community and I urge all to ensure a wide publicity to the same and ensure all your homes and work places have a copy of the panchang displayed prominently.

I thank all the members of the committee who have played a vital role in coming out with the Panchang year on year and wish them the very best with the newly introduced **"Kurmi Chetna Jagriti & Chetna Ke Swar Smarika"**, that I am sure will be accepted with all our heart.

Dr. Vijay Singh Niranjan

To:

Dr. Jeetendra Singroul
Editor and State General Secretary
ChattisgarhKurmi Kshatriya Chetana Manch

विजय बघेल
संसद सदस्य (लोकसभा)
छत्तीसगढ़

दूरभाष : 8770360478
9425561150
9981521150

सत्यमेव जयते

जावक क्रमांक VIP/...493
दिनांक : 26-10-2019

//शुभकामनाएं//

अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर त्रिदिवसीय **" कूर्मि महाधिवेशन "** का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि चेतना मंच अपने सकारात्मक कार्यों से महेशा कूर्मि समाज को नई दिशा देता रहेगा।

इस अवसर पर प्रकाशित **" कूर्मि चेतना जागृति "** स्मारिका कूर्मि समाज के शंकाओं का समाधान करेगा। निःसंदेह यह स्मारिका समाज विकास के लिए बेहतरीन दस्तावेज व संग्रह योग्य कलेवर होगा।

इस स्मारिका प्रकाशन पर अशेष बधाईयॉं व शुभकामनाएं.........

विजय बघेल
सांसद –दुर्ग लोकसभा
प्रदेशाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कूर्मि–क्षत्रिय समाज

प्रति,
डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल,
संपादक सह प्रदेश महासचिव
छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच

छाया वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)
Chhaya Verma, MP (Rajya Sabha)
सदस्य / Member :
1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
Standing Committee on Social Justice Empowerment
2. हिन्दी सलाहकार समिति - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Hindi Consultative Committee - Ministry of Health & Family Welfare
3. सलाहकार समिति - कोयला एवं खान मंत्रालय
Consultative Committee - Ministry of Coal & Mines

सत्यमेव जयते

निवास : 501, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ. बी.डी.मार्ग नई दिल्ली - 110001
निवास : सी-2, फारेस्ट कॉलोनी, राजातालाब, रायपुर (छ.ग.)
Resi. : 501, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Dehli - 110001
Resi. : C-2, Forest Colony, Rajatalab, Raipur, Chhattisgarh - 492001
Tel. : 0771-2252600
Email : chhayaverma1962@gmail.com

S.No. 1373

Date 18.10.2019

–संदेश–

अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा स्थापना के रजत जयंती वर्ष का त्रिदिवसीय "कूर्मि महाधिवेशन" का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रकाशित "कूर्मि चेतना जागृति" स्मारिका कूर्मि समाज के शंकाओं का समाधान करेगा। निःसंदेह यह स्मारिका समाज विकास के लिए बेहतरीन दस्तावेज व संग्रह योग्य कलेवर होगा।

मैं इस स्मारिका प्रकाशन पर अशेष बधाईयां व शुभकामनाएं.....

(छाया वर्मा)
सांसद, राज्यसभा
छत्तीसगढ़

प्रति,
श्री डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल,
संपादक सह प्रदेश महासचिव
छत्तीसगढ़ कूर्मि–क्षत्रिय चेतना मंच

स्थापना वर्ष 1894

पंजीयन क्र.-220/1984-85

अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा

ALL INDIA KURMI KSHATRIYA MAHASABHA

श्रीमती लताऋषि चन्द्राकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ)

मो.-09826462725, 09302743766

कार्यालय - स्ट्रीट-7, ब्लॉक-9/बी, सेक्टर-10, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन-490 006

दिनांक ..31/10/2019

-संदेश-

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में त्रिदिवसीय ''**कूर्मि महाधिवेशन**'' का आयोजन **छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच** द्वारा आयोजन किया जा रहा है । निश्चित तौर पर कूर्मि समाज में इसका वृहद लाभ होगा ।

मुझे अवगत कराया गया है कि इस अवसर पर प्रकाशित ''**कूर्मि चेतना जागृति**'' स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह स्मारिका कूर्मि समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति व धरोहर का आत्मबोध कराएगा।

मैं इस स्मारिका प्रकाशन पर अशेष बधाईयाँ व शुभकामनाएँ देती हूँ.....

कूर्मि श्रीमती लताऋषि चंद्राकर
राष्ट्रीय अध्यक्षा (महिला),
अखिल भारतीय कूर्मि-क्षत्रिय महासभा

प्रति,
कूर्मि डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल,
संपादक सह प्रदेश महासचिव
छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

पंजीयन क्र. 37 / छ.ग. राज्य / 06.10.2001

कूर्मि डॉ. निर्मल नायक
प्रदेशाध्यक्ष
पथरिया मोड़ के पास,
बरेला, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
मो. : 98261-65881

कूर्मि सुखनंदन कौशिक
प्रदेश कोषाध्यक्ष
देवनंदन नगर, फेस-1,
सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 8839915253

कूर्मि डॉ. जीतेन्द्र सिंगरौल
प्रदेश महासचिव
ब्लाक नं. 47 /563, दीनदयाल आवासीय फ्लैट
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)492099
9425522629, ई-मेल-jkumar001@gmail.com

क्र.: कूर्मि चेतना/केन्द्रीय/2017-2020/ 067

दिनांक : 04-11-2019

-संदेश-

अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि **छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच** द्वारा भारतरत्न सरदारवल्लभ भाई पटेल जयंती पखवाडा समापन समारोह व 'कूर्मि महाधिवेशन' का आयोजन समाज के चेतना जागृति हेतु प्रभावशाली व समाज हित में उपयोगी साबित होगा ।

इस अवसर पर प्रकाशित '**कूर्मि चेतना जागृति**' स्मारिका कूर्मि समाज के विषय में समाज द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का उपयुक्त जवाब होगा। मैं इस स्मारिका के प्रकाशन दल को बधाईयॉ व कार्यकम के सफल आयोजन के लिये शुभकामनाएं देता हूँ।

(डॉ. निर्मल नायक)
प्रदेशाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच

प्रति,
प्रकाशन दल,
कूर्मि चेतना जागृति स्मारिका

पत्राचार का पता : डॉ. हेमंत कौशिक, निरामय चिकित्सा केन्द्र, अशोक नगर, सीपत रोड, चांटीडीह, सरकण्डा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495006, ईमेल-kurmi.chetna01@gmail.com 98271-57927, https://www.facebook.com/kurmi.chetna01

विशेष ध्यानाकर्षण टीप

कई स्थानों में समान समाजिक उपनाम में समानता होने की वजह से भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है जिसकी वजह से कूर्मि पहचान में भ्रमित हो जाते हैं । जैसे बघेल (कूर्मि, अजा, अजजा) कौशिक (कूर्मि, ब्राह्मण, अजा) नायक व पटेल (कूर्मि, अघरिया, अजा), वर्मा (कूर्मि, कायस्थ) आदि । इस प्रकार के उदाहरण छत्तीसगढ़ प्रांत के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी पाये जाते हैं । अतः इस बाबत् सतर्कता बरतना उचित रहेगा । ऐसी विषम परिस्थितियों में स्थानीय स्वजातिय जन से सम्पर्क कर वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर लें । अधिक स्पष्टता के लिए अपने नाम के पूर्व 'कूर्मि' लिखना प्रारंभ करें, ऐसा सुझाव भी है।

प्रस्तावना

कृषि प्रधान देश में हमारा समाज भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय चक्र परिवर्तन के साथ–साथ हमें अपनी जाति व समाज की प्रगति का मूल्यांकन करना भी अनिवार्य है। शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उन्नत कृषि एवं व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहित करने हेतु समयोचित कदम उठाना आवश्यक है। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में कृषि को व्यवसाय का दर्जा मिलना, ह्रास होते कृषि कार्य एवं समस्याओं से ग्रसित अन्नदाता कृषकों के लिए संजीवनी का कार्य कर सकता है तथा यह देशहित में भी होगा। यह समझना आवश्यक है कि एक उद्योगपति अपने उत्पाद वस्तु का, लागत आदि की गणना के आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित करता है जबकि विडंबना देखिए कि अन्नदाता कृषक अपने उत्पाद का विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता आखिर क्यों? गहराई में जाना होगा । गंभीरता पूर्वक चिंतन करना होगा और तब फिर समग्र सार्थक विकास करना एक चुनौती होगी....

समाज उत्थान या समाज कल्याण में लगे संगठनों को ऐसी स्थिति उत्पन्न करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए; जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी को कुरीतियों से, रूढ़ीवादी मान्यताओं से मुक्ति मिले। भारत वर्ष में वर्ण व्यवस्था के पूर्व कार्य के आधार पर जाति (पहचान)निर्धारित थी तथा अब जन्म के आधार पर है अर्थात वर्तमान में जाति एवं जन्मता के आधार पर प्रगाढ़ता पूर्वक सामाजिक नियम में बंधे हुए हैं इसलिए जानिए अपनी जाति के बारे में; जाति का मूल शब्द ज्ञाति है। ज्ञाति का अर्थ जानाति, जानना। अत: जाति की सरल संपूर्ण व्याख्या जन्म पाने और जानने से है। अपनी जननी को , जन्म भूमि को, कुल परंपरा को श्रेष्ठ और संपूर्ण जानो और फिर निर्द्वंद उसे मानो। हमारा देश जातीय व्यवस्था पर आधारित है, किंतु शिक्षा और ज्ञान के बल पर जातीय शिखर अर्थात ब्राम्हणत्व को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। फलस्वरूप यह निश्चित मानें कि इस जातीय व्यवस्था में भी ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है, तदनुसार उसकी स्वीकार्यता एवं सम्मान भी निर्विवाद है।

रूप की पहुंच तो आंखों तक ही है, लेकिन गुण आत्मा को जीतते हैं। जितना हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हम को अपने अज्ञान का आभास होता है। इस अज्ञान

का समाधान तो ज्ञान ही कर सकता है । मनुष्य पर उसके विचार इतनी हावी होते हैं कि जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। कहा भी गया है कि जानाति, इच्छति,यतते–अर्थात जानता है, (विचार करता है), इच्छा करता है, प्रयत्न करता है। किसी भी कर्म का चेतन–अवचेतन रूप से विचार ही कारण होता है। अत: विचारवान बनें, ज्ञान वान बनें। कभी–कभी आपकी ऐसी शंका का समाधान एक छोटा सा वाक्य या कथन कर जाता है; जिसके लिए आप लंबे समय से भटक रहे होते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा । हमनें प्रयास किया है कि आपके मन में समाज आधारित जो भी प्रश्न या शंका उत्पन्न हो रहे होंगे उनके समाधान तथ्यात्मक एवं व्यावहारिक आधार पर इस स्मारिका **''कूर्मि चेतना जागृति''** में समाविष्ट किया है।

हमें विश्वास है कि यह संकलन आपकी सामाजिक शंकाओं का समाधान कर सकेगा। आपके व्यक्तित्व को विकसित कर आपके जीवन में आत्म विश्वास पैदा करेगा और फिर नई स्फूर्ति के साथ आप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अग्रणी हो सकेंगे। यह भी अनुरोध है कि प्रकाशित शंका समाधान के संदर्भ में जो सुझाव हो अथवा अतिरिक्त कोई शंका हो तो हमें सूचित करने में कृपणता नहीं बरतेंगे।

अनंत शुभकामनाओं सहित–

–प्रकाशन दल

समाज द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों का शंका-समाधान

शंका 1 – देश में कूर्मि का प्रथम संगठन कब और किन परिस्थितियों में बना?

समाधान : देश में कूर्मि का प्रथम संगठन 1894 में बना जब प्रोविन्सियल सर्कुलर 1894 (सरकारी) के अनुसार Kurmi as a "Depressed Community" and Barred then from Recruitment in to Police Service. अर्थात पुलिस की नौकरी में कूर्मियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी। इसी पुलिस-भर्ती पॉलिसी का विरोध करने हेतु कूर्मि जाति का प्रथम संगठन "Kurmi Community Association" लखनऊ में बनाया गया तथा इस पॉलिसी के खिलाफ अभियान चलाया गया।

शंका 2 – कूर्मि के साथ क्षत्रिय (कूर्मि-क्षत्रिय) कैसे और कब जोड़ा गया ?

समाधान : 1894 में गठित कूर्मि-एसोसिएशन ने देखा कि कूर्मि के पिछले कार्यों, जिसमें अनेक अवसर पर कृषि कार्य के साथ ही युद्ध में भागीदारी निभायी जाती रही, फिर भी पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आंदोलन चलाना पड़ा तब सफलता मिली। अत: भविष्य में पुन: ऐसे संकट से बचने की दृष्टि से 1901 की जनगणना में कूर्मि जाति को 'क्षत्रिय' की श्रेणी में रखने हेतु एसोसिएशन द्वारा अभियान चलाया गया।

शंका 3 – अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई ?

समाधान : कूर्मि एसोसिएशन का गठन लखनऊ में किये जाने के पश्चात कूर्मि को क्षत्रिय की श्रेणी में रखने का अभियान चलाया गया। इस अभियान को निरन्तर व्यापक रूप देने हेतु 1894 में गठित कूर्मि एसोसिएशन को 1910 में ''अखिल भारतीय कूर्मि-क्षत्रिय महासभा'' नाम पर संशोधित किया गया ।

शंका 4 – कूर्मि समुदाय द्वारा कहीं पर 'कूर्मि' तथा कहीं 'कुर्मी ' शब्द लिखा जाता है। इसमें से कौन सा शब्द सही है?

समाधान – कूर्मि समुदाय द्वारा लिखे जाने वाले शब्द कूर्मि के संबंध में निम्नानुसार तथ्य हैं-

1. कूर्मि शब्द संस्कृत के **'कूर्म'** धातु से बना है, जिसका अर्थ कू + रमी। कू अर्थात् भूमि, पृथ्वी तथा रमी अर्थात् रमन करने वाला अथवा

भूमिपति / राजा। अर्थात कूर्मि वह जाति का द्योतक है, जिसका कर्मक्षेत्र भूमि है।

2. कूर्मि– कु अर्थात् पृथ्वी और उर्मि अर्थात् गोद। इस प्रकार कूर्मि शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी की गोद में पलने वाला पृथ्वीपुत्र। कहा भी गया है– भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।
3. कूरम –कु अर्थात् पृथ्वी और रम अर्थात् पति या वल्लभ। अत: कूरम शब्द का अर्थ है भूपति या पृथ्वीपति जो कि क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची है। कहा गया है– क्षेत्रात् रमते स: क्षत्रिय:।
4. व्याकरण की दृष्टि से कूर्म शब्द में इनि (इन्) प्रत्यय लगाने से "कूर्मिन" शब्द बनता है। कूर्मिन से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग कूर्मि शब्द बनता है, जो कि अत्यंत प्राचीन तत्सम रूप है। कालान्तर में कूर्मि का अपभ्रंश अर्थात् तद्भव रूप या बोलचाल में कुर्मी, कुरमी, कुण्बी, कुनबी, कुडमी, कालबी होता गया।

   अत: कूर्मि शब्द व्याकरण सम्यक तत्सम रूप है और उसका अपभ्रंश अर्थात् तद्भव रूप या बोलचाल में कुर्मी, कुरमी, कुण्बी, कुनबी, कुडबी, कालबी शब्द है।

शंका 5– कूर्मि समाज द्वारा अधिकतर एकरूपता हेतु 'कूर्मि ' अथवा 'पटेल' शब्द को नाम के पूर्व जोड़े जाने पर चर्चा होता रहा है। दोनों शब्द में कौन सा शब्द उपयुक्त/ प्रासंगिक है?

उत्तर:– कूर्मि समाज द्वारा एकीकरण व एकरूपता को ध्यान में रखते हुए अधिकतर स्थानों में 'कूर्मि' अथवा 'पटेल' शब्द नाम के आगे जोड़नें का आह्वान किया जाता रहा है। 'कूर्मि' शब्द जाति का बोधक होने से ज्यादा उपयुक्त है; जबकि 'पटेल' शब्द उपनाम का द्योतक है। पटेल उपनाम कई जातियों में प्रचलन में है।

जैसे । **पटेल**–ग्राम प्रमुख की उपाधि के लिए भी पटेल शब्द का प्रयोग होता है। अत: पटेल शब्द जाति बंधन से परे प्रमुख हेतु इस्तेमाल होता है।

। **पटेल**–मरार जाति अर्थात् सब्जी व्यवसाय जुड़े लोग भी पटेल उपनाम का प्रयोग करते हैं।

। **पटेल**–मुसलमानों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे:अहमदभाई पटेल।

। **पटेल** –अनुसुचित जाति के उपनाम में भी प्रचलन है।

राष्ट्रीय स्तर के कई बैठकों एवं आयोजनों में देशभर के कूर्मि अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में पटेल लिखें इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ। देश के कई क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश , गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में पटेल उपनाम का अभी भी प्रयोग करते हैं , किंतु कुछ क्षेत्र में काछी, मुसलमान और अन्य जाति के ग्राम प्रमुख लोग भी पटेल का प्रयोग करते हैं, जिससे एक भ्रम की स्थिति बन सकती है। फलत: पटेल उपनाम लिखने में सहमति नहीं बन सकी। छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच ने नाम के पूर्व कूर्मि लिखने का विकल्प रखा और साथ ही इसे प्रचलन में भी लाया है जैसे –'कूर्मि रामभरोस कौशिक' । इससे उपनाम को विलोपित किये बिना ही समाधान मिल गया। समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि आप भी अपने नाम के आगे 'कूर्मि' लिखना प्रारंभ कर अपने जातीय-अस्तित्व का बोध कराऍं।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि' पटेल' शब्द उपनाम है न कि जाति। इसलिए समाज एकीकरण हेतु नाम के आगे 'कूर्मि' शब्द लगाना ज्यादा प्रासंगिक व उपयुक्त है।

शंका 6- 'छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच' की स्थापना कब हुई ? और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

समाधान : इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1993 को परमपूज्य स्वामी वेदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में हुई। प्रदेश में व्याप्त फिरकावाद और उसकी पृथक-पृथक ताकत को एकीकृत करना, साथ ही रचनात्मक, वैज्ञानिक चिंतन तथा सम्पूर्ण विकास हेतु सामाजिक चेतना का संचार करने हेतु सर्वमान्य मंच के रूप में चेतना मंच की स्थापना की गई है। तब न छत्तीसगढ़ प्रदेश अस्तित्व में था और न ही कोई समाजिक संगठन इस स्तर पर क्रियाशील था।

शंका 7- क्या विजातीय विवाह वाले को वर्तमान समय में समाज से तिरष्कृत / बहिष्कृत किया जाना धर्म अनुरूप है?

समाधान–जातिगत समाज, आपस में जोड़ने और दु:ख-सुख में साथ चलने के

लिए समाजिक विचारधारा, कार्य व संस्कृति का व्यापक रूप है। समाज की अवनति का बड़ा कारण यह है कि हम प्रतिभाशाली व योग्य व्यकित्व को मुख्य धारा में जोड़कर उनका उपयोग समाज विकास में नहीं कर पा रहे हैं। एक ओर हम शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर उन्मुख हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षित प्रतिभाओं को पुरानी रूढ़िवादी परंपरा में बाँधने की हास्यास्पद भूल भी करते हैं। इतिहास गवाह है कि जो समय के अनुरूप अपने आपको अद्यतन नहीं करता वो विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट जाता है।

उदाहरण:- एचएमटी घड़ी, नोकिया मोबाईल इत्यादि का पुराने समय में कोई टक्कर नहीं था, किन्तु वर्तमान समय में वे बाजार में काफी पीछे है, कारण सिर्फ समय के साथ बदलाव नहीं किया गया। उसी प्रकार यदि कूर्मि समाज द्वारा समय के रहते पुरानी दकियानुसी परंपराओं को समयानुरूप परिष्कृत व अद्यतन नहीं किया गया तो हम काफी पीछे हो जाएंगे। आज हमसे पीछे वाले समाज यादव, आदिवासी, तेली आदि विकास में हमसे सामान्तर या आगे होते जा रहे हैं और हम अपनी पुरानी रूढ़ीवादी मान्यताओं के कारण अपनों को ही अपनों से दूर करने की गलती को दिन प्रतिदिन दोहरा रहे हैं।

अब हम देखते हैं कि प्राचीनकाल में विवाह की क्या व्यवस्था थी। प्राचीन पुराणों व ग्रंथों का अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में ऐसी संकीर्णता नहीं थी। वर-वधु में जाति और उपजाति का नहीं बल्कि गुण और स्वभावों का मेल बिठाया जाता था और ऐसे विवाह सामाजिक रूप से मान्य होते थे।

उदाहरण:- व्यास और पाराशर मुनि की माताएँ दूसरे वर्ण की थी। व्यास मुनि की माँ केंवट पुत्री थी और पाराशर मुनि की माँ श्वपच (चांडाल) के घर जन्मी थीं। द्वपद, मात्स्य, आयु, दत्त, द्रोण, कक्षीवान, श्रृंगी महर्षि, कश्यप मुनि नीच कहे जाने वाले कुलों में जन्मे थे। वशिष्ठ अपने पौत्र का विवाह चित्रमुख वैश्य की कन्या से किया था । राजा नीप का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या से हुआ था । भीष्म के पिता शांतनु ने धीवर कन्या से शादी की थी । वशिष्ठ गणिका के पुत्र थे। इसी प्रकार मातंग ऋषि के

पिता नाई कुल के थे और माँ ब्राह्मण थी । क्षत्रिय कन्या पद्मा ने विप्लाद और लोपा मुद्रा ने अगस्त्य ऋषि से विवाह किया था । विश्वामित्र ने मेनका से संबंध स्थापित किया, जिसकी बेटी शकुंतला दुष्यंत से व्याही गयी। श्रृंगी ब्राह्मण ने राजा दशरथ की पुत्री शांता से विवाह किया था । प्रियव्रत की बेटी उर्जस्वती से शुक्राचार्य ने विवाह किया था । सुर्यवंशी कन्या रेणुका का विवाह यमदग्नी ऋषि से हुआ ।

इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण हैं; जिसमें संबंध जाति समानता के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म स्वभाव के मेल के आधार पर किये जाते थे । यही कारण है उस समय समाज न केवल व्यवस्थित, संगठित ही था बल्कि व्यापक भी था । आधुनिक समय की वैज्ञानिक धारणा भी उपरोक्त ऋषि दृष्टि का समर्थन करती है । समाज मनोविज्ञानी वी.एल. वासम ने 'साईकोलाजिकल डेव्हलपमेन्ट एण्ड ह्यूमेन सोसायटी' में विभिन्न समाजों के पारस्परिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक विवेचना की है। उनके अनुसार विवाह संबंध का आधार वर-वधु की मानसिकता को माना जाय । इसके विवेचन-विश्लेषण को आधार बनाकर चुने गये संबंध ही चिर स्थाई व मधुर हो सकते हैं। अनुवांशिकी के ख्याति नाम अध्येता विनचेष्टर अपने अध्ययन 'प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स' में स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्रजाति का विकास तभी संभव है जबकि प्रजनन के संबंधों का दायरा बड़ा हो तथा इसी के आधार पर भावी संतति सफल हो सकती है ।

वैज्ञानिक एवं सामाजिक अध्ययन प्राचीन परंपरा से तो मेल खाते हैं पर आधुनिक लोक प्रचलन से इनका कोई तालमेल नहीं । इसका एक ही कारण है कि फिरका परस्ती का आधार न तो तर्क संगत है, ना विवेक संगत न उसमें बुद्धि-विवेक का समर्थन है और न उसकी संगठनात्मक उपयोगिता है। इस अनौचित्य पूर्ण परंपरा का टूटना / जुड़ना ही स्वाभाविक है और यह व्यावहारिक भी होगा।

शंका 8 - स्वजातीय प्रतीक (मोनो) कब और कैसे अस्तित्व में आया ? आशय स्पष्ट करें ।

समाधान - अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के गठन के 85 वर्ष के लंबे

अंतराल के बाद महासभा के 1981 में रायपुर (छत्तीसगढ़ तब मध्यप्रदेश)में आयोजित 34 वें अधिवेशन में श्री राजेन्द्र कुमार (प्रचार मंत्री, प्रकाशक कूर्मि संदेश कन्नौज व सम्पादक -कूर्मि क्षत्रिय जागरण) द्वारा यह प्रतीक प्रस्तुत किया गया ।द्वितीय दिवस के खुले अधिवेशन में विस्तृत विचार विमर्श के बाद बिना किसी संशोधन के मूल रूप से इस प्रतीक को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आज सम्पूर्ण भारत में इसे स्वजाति बंधुओं द्वारा अपना लिया गया है। प्रतीक की पृष्ठभूमि में भूमि को दर्शाया गया है जो हमारे व्यापक भूमिपति होने का द्योतक है। गेहूँ की बालियाँ हमारे गौरवपूर्ण कृषक होने को प्रदर्शित करती है। दो तलवारों के मध्य ज्योति, मानव जीवन-ज्योति है। इसका समग्र आशय है कि हम सर्वप्रथम सभ्य समाज के रूप में इस धरा के स्वामी बनें व हम मानव जाति को सुरक्षा व पोषण दोनों ही प्रदान करते हैं।

सभी स्वजाति बन्धुओं से निवेदन है कि अपने प्रतीक को मकान, वाहन, व्यवसायिक, साईन बोर्ड, कालर पिन, टाईपिन, आदि पर प्रदर्शित करें जिससे कि अपनी पहचान स्वभाविक रूप से हो सके। लेटर पेड, विजिटिंग कार्ड, पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

शंका 9- कूर्मि समाज के प्रमुख ताकत, कमजोरी, चुनौतियाँ व अवसर क्या-क्या हैं?

समाधान- कूर्मि समाज के प्रमुख ताकत, कमजोरी, चुनौतियाँ व अवसर निम्नानुसार है:-

ताकतः-

- जीवन के महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन पर जुड़ाव।
- देश में 2019 की स्थिति में 28.75 करोड़ की आबादी अर्थात एक चौथाई से अधिक की जनसंख्या।
- अधिकतर मेहनतकस लोग व परिश्रम पर भरोसा करने वाले समुदाय।

कमजोरीः-

- समाज द्वारा एकीकरण का अभाव ।
- फिरका परस्ती व एक दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाना।
- रूढ़िवादी परंपरा का अंधानुकरण।

- विभिन्न संगठन का समेकित प्रयास का अभाव।
- समुचित कार्ययोजना व रणनीति का अभाव।
- राजनैतिक संरक्षण व भागीदारी का अभाव।
- अपनों पर भरोसा कम करना तथा दूसरे के बात का अंधानुकरण करना अर्थात बिना परीक्षण व जानकारी को परखे, पराए पर सीधा भरोसा करना।

चुनौतियाँ:-

- देश में 2019 की स्थिति में 28.75 करोड़ की आबादी के लिए एक सूत्र में बाँधने हेतु कार्ययोजना तैयार कर उचित क्रियान्वयन।
- रूढ़िवादी परंपरा के स्थान पर समसामयिक व्यवस्था का निर्माण करना।
- फिरका परस्ती को जोड़कर सभी कूर्मि समुदाय का एकीकरण।
- समाज के ही व्यक्ति को पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता देकर स्थापित करना।

अवसर:-

- जीवन के महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन को व्यवसाय के रूप में तैयार करना।
- मेहनतकश समुदाय के लिए कृषि, व्यवसाय, राजनैतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करना।
- देश के आबादी की एक चौथाई से अधिक की जनसंख्या को एकीकरण में पीरोने पर व्यवसाय व राजनैतिक क्षेत्र में अपार संभावनाएँ।

शंका 10. क्या जातिगत कार्य के लिए काम करना जातिवाद को बढ़ावा देना है?

समाधान- अरस्तु ने कहा था **'जो समाज में नहीं रहता, वह पशु है या देवता'** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में किसी न किसी रूप में योगदान देता है। वसुधैव कुटुम्बकम् भी इस बात को प्रमाणित करता है कि पूरा विश्व एक कुटुम्ब/ कुनबा या कूर्मि का व्यापक रूप है।

समाज की सबसे छोटी ईकाई परिवार है तथा उसके बाद ग्राम, जिला , राज्य तथा देश उत्तरोतर स्थान रखता है। उसी प्रकार हमारी नैतिक जिम्मेदारी परिवार के बाद उपसमूह व जाति उसके बाद अन्य पिछडा वर्ग तथा संपूर्ण मानव के प्रति होता है। विकास क्रमश: एक सीढ़ी की

तरह होता है। जो लोग सीधे संपूर्ण मानव की बात करते है, वे समेकित विकास की परिकल्पना से परे होकर दुरूह कार्य को इंगित करते हैं। अपवाद को छोड़ दें तो बिना प्राथमिक शिक्षा के उच्च शिक्षा की बात केवल पुलावी ख्याल मात्र है उसी प्रकार अपने समुदाय की विकास के बिना संपूर्ण मानव की बात करना समुचित विकास का पैमाना कतई नहीं हो सकता। अर्थात हम अपने परिवार (समाज) का विकास किए बिना स्थायी विकास की बातें नहीं कर सकते।

विज्ञान या शोध भी इस बात को प्रमाणित करता है कि सेम्पल साईज छोटा (उपजाति) होने पर ही हम परिणाम तक सही पहुॅच सकते हैं और फिर उसे बड़ी साईज पर (सम्पूर्ण मानव समाज) पर प्रयोग कर सकते हैं। आज सभी लोग सम्पूर्ण मानव की बात तो करते हैं किन्तु जातिगत बात को संकीर्णता का द्योतक बताते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आज भी हमारे देश में विकास एक सपना बन कर रह गया है। हम जमीन या मूल कारण की ओर कम ध्यान दे रहे हैं।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि जातिगत या अपने समुदाय के विकास की बात करना ही असली समाज या राष्ट्र सेवा है। बिना परिवार/ समाज का विकास किए बिना राष्ट्र का विकास अधूरा है। इस प्रकार जाति के लिए काम करना जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं बल्कि समुचित विकास के लिए नींव बनकर कार्य करना है।

शंका 11- कूर्मि समाज/ पिछड़े वर्ग के अधिकतर राजनीतिज्ञ दूसरे समाज की तुलना में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं?

समाधान- कूर्मि समाज के प्रमुख राजनीतिज्ञों के मन में यह भ्रम रहता है कि अवसर उनके स्वयं के व्यक्तित्व से मिला है, जबकि वास्तव में उन्हे समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में अवसर प्राप्त होता है। समाज के नेताओं को यह डर रहता है कि यदि समाज के लोग आगे बढ़ जाएगें तो उनके प्रतिद्वंदी तैयार होंगे। इस प्रकार के भ्रम से कूर्मि समाज/ पिछड़े वर्ग के अधिकतर राजनीतिज्ञ अपने समुदाय के लोगेां को दरकिनार कर अन्य लोगों पर भरोसा करते हैं और अन्य लोग अवसर तक ही साथ देते हैं तथा आवश्कता के समय साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारे समुदाय के

राजनीतिज्ञ अपना वास्तविक सहयोगी नहीं तैयार कर पाता और पूर्व के सहयोगियों को भी खोकर अकेला पड़ जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण समाज के नेता न तो समाज को समुचित सहयोग कर पाता है और न हि अपना कोई सही सहयोगी ही तैयार कर पाता है । फलतः वे विफल होते हैं और न अपनी स्थाई साख बना पाते हैं। इसके विपरीति उच्च वर्ग के राजनीतिज्ञ अपने समुदाय को लगातार सहयोग कर दिन-प्रतिदिन अपने सहयोगियों की संख्या में विस्तार करते हैं; जिसके फ लस्वरूप वे स्थायी रूप से आगे बढ़ने के लिए सफल होते हैं तथा वे अपने पांचवर्षीय कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष 50-100 लोगों को आगे बढ़ाते हुए लाभान्वित करते हैं, जो चुनाव के समय लगभग 500 लोगों का यही फौज स्थाई रूप से मदद के लिए तत्पर रहते हैं। फलस्वरूप ही उच्चवर्ग के राजनीतिज्ञ निरंतर सफल होते जाते हैं जबकि बिना कार्यकर्ताओं के फौज कूर्मि समाज के राजनितिज्ञ अपनी साख खो देते हैं और राजनीति में असफलता से ग्रसित हो जाते हैं ।

शंका 12- कूर्मि समाज के पिछड़ने के क्या-क्या कारण है?

उत्तरः- कूर्मि समाज के पिछड़ने के संभावित प्रमुख कारण निम्नानुसार हैः-

1. अशिक्षा । 2. दूरदर्शी सोच का अभाव। 3. परिस्थितिजन्य अनुकूलन/समय अनुसार परिवर्तन नहीं होना। 4. अपनों का सम्मान नहीं करना।5. अपनों का पहचान व सहयोग का अभाव। 6. एक-एक ग्यारह के गुण का अभाव । 7. झूठ/ फरेब/ भ्रम पर अंधभक्ति।8. दूसरे की भ्रम का शिकार।

शंका 13- क्या समाज संचालन का मुख्य स्त्रोत दण्ड का पैसा ही है अथवा कोई विकल्प है?

उत्तरः- वर्तमान के दण्ड तरीका से बहुत कम पैसा मिलता है.....

नया व बेहतरीन कार्यः-

उदाहरणः- यदि समाज के कुछ लोग लगभग 100 व्यवसायिक/डॉक्टर/ अधिकारियों का चिन्हांकन करके नियमित सहयोग लिया जावे तो 12 लाख 1 वर्ष में न्यूनतम राशि जमा हो सकता है।

उदाहरणः- प्रतिमाह कम से कम 1000/- के हिसाब से 100 लोगों के द्वारा 12 माह में

1000x100x12=12 लाख प्रतिवर्ष समाज के कोष में जमा हो सकता है। इसके अलावा अन्य निम्नानुसार वैकल्पिक व्यवस्था से भी समाज में वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं।

जैसे: । समाज विकास हेतु विभागीय संयुक्त आयोजन कार्य।
। समर्थ लोगों से सीधे अनुदान।
। शासकीय विभागों से समन्वय कर विभागीय अनुदान।
। जन प्रतिनिधियों द्वारा अनुदान।
। मंगल व व्यवसायिक भवन का संचालन।

वर्तमान समय को देखते हुए उपरोक्त तरीकों का चिन्हांकन करते हुए समाज के संगठन में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं।

शंका 14- उन्नत समाज के प्रगति और कूर्मि समाज के पिछड़ापन में क्या अंतर है?

उत्तर:- उन्नत समाज के प्रगति और कूर्मि समाज के पिछड़ापन के संभावित प्रमुख अंतर निम्नानुसार है:-

1. उन्नत समाज शिक्षा पर जोर देकर उसका सामयिक व आधुनिक प्रयोग पर जोर देता है; जबकि पिछड़ा समाज शिक्षा के प्रति ज्यादा सजग नहीं होते हैं और न ही उसका सम्यक प्रयोग कर पाते है।
2. उन्नत समाज दूरदर्शी सोच रखते हुए वर्तमान के कार्यों में प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं; जबकि इसके विपरीत पिछड़ा समाज न ही वर्तमान के प्रति और नही भविष्य के प्रति दूरगामी सोच रखते हैं।
3. उन्नत समाज परिस्थितिजन्य अनुकूलन/समय अनुसार परिवर्तन को ध्यान रखकर अपने सभी व्यवहार व व्यवसाय को अग्रेसित करते हैं जबकि इसके विपरीत पिछड़ा समाज पुराना रूढ़िवादी/ दकियानुसी सोच में ही आनंदित होते रहता है।
4. उन्नत समाज हमेशा अपनों को सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं; किन्तु इसके विपरीत पिछड़ा समाज अपने लोगेां को अपमानित करने का अवसर तलाश करते रहते हैं।
5. उन्नत समाज हमेशा अपनों का पहचान करते हुए एक दूसरे को मदद करते हैं; जबकि पिछड़ा समाज अपनी पहचान छुपाते हुए अपने लोगों

को मदद से कतराते हैं और समय पर साथ भी छोड़ देते हैं।

6. उन्नत समाज हमेशा अपनों की मदद करते हुए अपने व्यवसाय व कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाते हैं; जबकि पिछड़ा समाज एक दूसरे के व्यवसाय व कार्य में हानि के लिए उतारू रहते हैं।
7. उन्नत समाज झूठ/ फरेब/ भ्रम से दृगभ्रमित नहीं होते साथ ही शीघ्र चाल को पहचान जाते हैं; जबकि पिछड़ा समाज हमेशा झूठ/ फरेब/ भ्रम से दृगभ्रमित होते हुए भ्रमजाल में फंसकर अवनति को प्राप्त करते हैं अर्थात् दूसरे के भ्रमजाल में जल्दी फंस जाते हैं।

शंक 15- जातीय संगठन रूपी समाज से क्यों जुड़ें इसका क्या प्रयोजन है?

समाधान- समाज के आवरण को बनाना, घर का प्रबंध करना तथा कोमलता, प्रेम, सहनशीलता से जीवन की विषम यात्रा को सरल और सुखद बनाना एक मॉ का कार्य होता है। मॉ परिवार को समाज के अभिन्न अंग के रूप में पल्लवित करती है। संस्कार, व्यक्तित्व का निर्माण एवं सम्बल परिवार समाज से ही पोषित होता है। जिस जाति समाज में हमने जन्म पाया, जिससे हमारा अस्तित्व है, उसकी रक्षा के लिए समाजिक संगठन से जुड़ें। हम अपने आत्म कल्याणार्थ अपने इस जाति- संगठन को सशक्त करने के लिए और फिर बृहद समाज को पुष्ट करने के लिए हमें समाज कल्याण के विभिन्न गतिशील कार्यों को विकसित करना होगा और यही हमारा सामाजिक दायित्व है। समाज की अदम्य शक्ति के विवरण, साहित्य एवं इतिहास में अनेक जगह प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । सिद्धांत है कि समाज की शक्ति संगठन में है तथा अशक्ति का कारण बिखराव है। समाज के संगठित स्तर पर अनेक प्रयास चल रहे हैं जिसे आप अनुभव भी कर रहे होंगे। प्राचीन परंपरा तथा वर्तमान गतिशीलता दोनों में सामंजस्य बैठाना होगा । रूढ़िवादी जनित प्रतिबंध एवं आत्महीनता अथवा गतिशीलता के नाम पर स्वच्छंदता एवं अहंकार परिवार एवं समाज के मूल रूप में परिवर्तित होने के कारण बाधक है। इन बाधाओं को दूर करते हुए परिवार एवं समाज को सशक्त इकाई के रूप में खड़ा करना ही समाज निर्माण का मुख्य आधार बन सकता है। इसी में सब की भलाई भी निहित है।

शंका16- समाज से हमें क्या मिलेगा, तथा समाज को समय एवं अपनी कमाई का हिस्सा क्यों दें?

समाधान- जाति ,समाज, देश की आन- बान- शान के लिए अपना सर्वस्व लगा देने वाले छत्रपति शिवाजी, लौह पुरुष सरदार पटेल, डॉ खूबचंद बघेल आदि को सम्मान देने वाला तो समाज ही है! प्रश्न तो यह है कि हमने समाज को क्या दिया? अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों के सुखद भविष्य के लिए समाज के अपनों ने साथ देकर संरक्षित किया। हम समय देकर अपना भविष्य सुखद करें। आप समाज को दोगे तो समाज आपको कई गुना अधिक लौटाता है। समाज के जरूरत मंदों के उपकार हेतु क्रियाशील संगठनों को पहचानें और उन्हें सहयोग करें। किसी बेसहारा का भविष्य आपके लेश मात्र अंश से सुधर सकता है। वह अंतर्मन से दुआएं देगा और तब आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी फिर हिचक क्यों?

शंका 17- जब हमारी जाति कूर्मि है तो कूर्मि-क्षत्रिय लिखने या कहने का औचित्य क्या है?

समाधान- (1) तत्कालीन अवध प्रान्त (वर्तमान संयुक्त आगरा व अवध उत्तरप्रदेश) के सुपरिन्टेण्डेन्ट आर. बर्न द्वारा एक सरक्यूलर 524/4/8/सी/60 दिनांक 25.02.1901 जारी कर जनगणना में विभिन्न जातियों के वर्गीकरण का आदेश दिया था। कूर्मि की दृष्टि से यह आदेश सम्मान जनक नहीं होने पर जातीय समितियों के आन्दोलन करने पर दूसरा सरक्यूलर 804/सी/60 दिनांक 25 अप्रैल 1901 के द्वारा प्रथम आदेश में संशोधन किया गया । इस संबंध में कूर्मि क्षत्रिय आन्दोलन के जनक रामअधीन सिंह ने सप्रमाण क्षत्रिय सिद्ध कर एक पत्र बर्न के पास भेजा था। उस समय एवं उससे पहले के समय में कूर्मि, कुनबी को पुलिस विभाग के शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयोग्य माना गया। चूंकि कूर्मि कृषि कार्य के अतिरिक्त योद्धा के रूप में भी विख्यात थे। फ्लस्वरूप अपने अधिकार प्राप्ति हेतु क्षत्रिय होने का दावा किया गया। जिसमें सफ लता भी मिली। तत्कालीन कूर्मि क्षत्रिय महासभा के महासचिव तकोजीराव पवार देवास सीनियर के 6 नवंबर 1930 के पत्र

पर भारत सरकार के गृह विभाग ने 18 नवंबर 1930 को जनगणना में क्षत्रिय शब्द लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लिखकर संबंधितों को आदेश दिये गये। इसी तरह संयुक्त प्रान्त इलाहाबाद सरकार ने 3 मार्च 1931 को एवं आसाम सरकार ने 2 जुलाई 1931 को आदेश जारी कर कहा कि मालगुजारी के कागजातों में कूर्मि क्षत्रिय लिखा जाए। देवास सीनियर के 15 मई 1931 के पत्र पर 18 जुलाई 1931 को अजमेर मेवाड़ के चीफ कमिश्नर ने सरकारी कागजातों में कूर्मि क्षत्रिय लिखने का आदेश दिया । संयुक्त प्रान्त के सचिव एस.एस. नेहरू ने रायबरेली कूर्मि क्षत्रिय महासभा के पत्र पर 20 जुलाई 1931 को आदेश दिया कि कूर्मि विद्यार्थियों के स्कूल कागजात में क्षत्रिय लिखा जाय। इन आदेशों के तहत कूर्मवंशी को कूर्मि-क्षत्रिय कहा जाने लगा। मध्यप्रदेश में कूर्मि शब्द के स्थान पर **कूर्मवंशी** अधिक आदरणीय समझे जाने से सतना के वैद्यशास्त्री रामजीवन सिंह के पत्र पर रींवा दरबार की राजाज्ञा नं. 138 सी/आई/ दिनांक 10 जुलाई 1947 को रींवा राज्य के महाराज के सचिव नरेन्दनाथ ने सरकारी कागजातों में कूर्मवंशी लिखे जाने का आदेश सभी विभागों को दिये । विन्ध्यप्रदेश के (विन्ध्य में रींवा सीधी, शहडोल, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया शामिले थे एवं राजधानी रींवा थी) कूर्मियों ने कर्मवंशी के साथ सिंह लिखना शुरू कर दिया तब मुन्शी, पटवारी, दरोगा और अध्यापकों ने विरोध किया गया। देश आजाद हेाने के पश्चात विन्ध्य प्रदेश के राजस्व कमिश्नर द्वारा 15 जुलाई 1948 को कूर्मवंशी के साथ सिंह लिखने का आदेश दिया गया, जिसे पूरे विन्ध्य प्रदेश में राजाज्ञा 30 अप्रैल 1949 को लागू कर दी गई। राजा जयलाल सिंह (31.5.1803 से 1.10.1859) को शासकीय प्रकाशन में कायस्थ दिखाये जाने पर लखनऊ समाज की आपत्ति पर उसे सुधारकर कूर्मि लिखा गया। अर्थात् कूर्मि गर्व से स्वयं को कूर्मि क्षत्रिय लिखने एवं कहने का अधिकार रखता है

(2) जहाँ तक कूर्मि क्षत्रिय जाति का इतिहास का प्रश्न है, तो उसका इतिहास भी उतना ही पुरातन है, जितना कि आर्यों में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, जो कि प्रारम्भ में व्यक्ति के कर्म पर आधारित थी पर बाद में हिन्दू-

समाज में जन्म जात बन गयी।

ऋग्वेद 1/27 में **''कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा ऋषिः''** के अनुसार राजर्षि कूर्म सुप्रसिद्ध वैदिक ऋषि गृत्समद के सुपुत्र थे। स्पष्ट है कि कूर्मि ऋषि के वैदिक ऋषि होने से कूर्मिवंश वेद कालिक प्रतीत होता है। वेद, शतपथ ब्राम्हण, स्कन्द पुराण और अन्य प्रागैतिहासिक ग्रन्थों से कूर्मि तथा जब से जातियाँ बनी थी ,तब से कूर्मियों का पुरातन काल से अस्तित्व और क्षत्रियत्व प्रतिभाषित होता है। कालान्तर में कूर्मि जाति उस सभ्यता की जनक रही है, जिसने कृषि की खोज कर और अपनाकर कूर्मि जाति को यायावर अवस्था से स्थिर जीवी में परिणित किया। प्राचीन ऋषि जीवन भी कृषि-जीवन की ही देन थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सारे ज्ञान-विज्ञान की जड़ें इसी कृषि-क्रांति में निहित है। आर्यों के पूज्यतम् देवराज इन्द्र थे, जिन्हें अनेक वैदिक मंत्रों में 'तुवि कूर्मि' अर्थात महान पराक्रमी कर्मयोगी कहा गया है। ऋग्वेद में 'कूर्मि' शब्द का प्रयोग इन्द्र की कीर्ति बढ़ाने के अर्थ में किया गया है।

कूर्मि जाति के आदि पूर्वज कूर्म क्षत्रिय थे। कूर्म और कूर्मि शब्द का अस्तित्व वेद, पुराण तथा शास्त्रों आदि सभी ग्रंथों में मिलता है। इन शब्दों की व्याकरण सम्मत व्याख्या करते हुए वेदों के भाष्कर सायणाचार्य लिखते हैं:-

कूर्मः (रसो वीर्य तेजा वा) अस्ति अस्य इति कूर्मि=रसवान, वीर्यवान, तेजवान, कूर्मि अर्थात जिसके पास जीवन रस, वीर्यबल तथा तेजस्विता रहती है, वही कूर्म है।

कूर्मः (प्राणी बलं क्षत्रं राष्ट्र वा) अस्ति इति कूर्मि= प्राणवान, बलवान, क्षत्रि (छत्रपति), राष्ट्री (राष्ट्रपति), कूर्मि अर्थात जिसके आधिपत्य में प्राण, बल, क्षत्र, (क्षत्रियत्व अथवा राष्ट्रपतित्व) है, वही कूर्मि है।

कूर्मः (भारत वर्ष देशों) अस्ति अस्य इति कूर्मि अर्थात कूर्म नामक भारतवर्ष जिसके आधिपत्य में हो वही कूर्मि है।

भाष्कर सायणाचार्य की उपयुक्त व्याख्याओं से भी स्पष्ट है कि यह 'कूर्मि या कुर्मी शब्द उत्कृष्ट वैदिक कालिक क्षत्रियों का ही बोधक तथा

समानार्थी है, जो कूर्मि जाति का भी वैदकालिक क्षत्रिय जाति का बोधक है। वैदिक मंत्रों तथा पुराणों में कूर्मि को महान पराक्रम कर्मयोगी कहा गया है।

यथा- ***क्षत्रियै कूर्म शौन को।***-श्लोक 41

कूर्मि संज्ञां लभन्ते, क्षत्रिया: कूर्म वंशज:। -श्लोक 56 - लघु नारदीय उपपुराण, चन्द्रवंशी राजर्षि वर्मन।

वैदिक काल तीन और पौराणिक काल के चार वर्णों में क्षत्रिय एक वर्ण समान रूप से है और क्षत्रिय समुदाय में कूर्मि जाति एक कूर्मि संज्ञा है। कहीं-कहीं कूर्मि के स्थान में कुरम शब्द प्रयुक्त होता है। अत: ***को भुव: वल्लभ: पतिर्वा कुरम:-पूवल्लभ: भूपतिर्वा***। स्पष्ट है कि कूर्मि शब्द क्षत्रिय की समुचित संज्ञा है अर्थात जिन कुलों में कूर्मि उत्पन्न हैं अथवा जो कुल कूर्मि समुदाय में अद्यावधि वर्तमान है, वे क्षेत्र अर्थात क्षत्रिय कुल हैं।

शंका 18- कूर्मि समुदाय अपने साथ 'क्षत्रिय' शब्द लिखता है; तो फिर यह समुदाय आरक्षित वर्ग के अंतर्गत क्यों आता है?

समाधान : आरक्षण व्यवस्था को समझने के लिए हमें इसके मूल कारण को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण क्या है? वास्तव में आरक्षण किसी वर्ग विशेष को अवसर प्रदान करने का एक माध्यम मात्र है। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही सामाजिक असमानता व अवसर विहिनता को समाप्त कर वंचित व विकास में पिछड़े समुदाय को गुणोत्तर अवसर प्रदान कर उसे प्रतिनिधित्व (भागीदारी/ अवसर) प्रदान करने की सरलीकृत व्यवस्था है, जिसे बोलचाल में आरक्षण के नाम से जाना जाता है ।

अवसरवादी व एकाधिकारवाद रखने वाले लोग आरक्षण को गलत व्याख्या करते हुए इसे जन सामान्य में भ्रम पैदा कर दिए हैं। वास्तव में आरक्षण केवल व केवल अवसर विहिन एवं वंचित तथा विकास में पिछड़े समुदाय को उत्तरोतर अवसर प्रदान करने की सरल प्रक्रिया मात्र है ।

पूर्व काल में मुगलों के अत्याचार व अधीनता न स्वीकार कर कूर्मि

क्षत्रिय समुदाय द्वारा युद्ध/रक्षा कार्य में जोखिम तथा कम अवसर होने के कारण कृषि कार्य को अपना लिए। कृषि कार्य में लगे होने के कारण शैक्षणिक व सामाजिक विकास से लगातार पिछड़ते गए। स्वतंत्र भारत में संविधान के धारा 15.5 एवं 16.4 के अंतर्गत शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया । इसी क्रम में कूर्मि क्षत्रिय समुदाय को उनके तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग/समुदाय में शामिल किया गया। अत: उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि कूर्मि समुदाय के शैक्षणिक व सामाजिक उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया ।

पौराणिक उदाहरण:– जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वेदों का अध्ययन और पालन छोड़कर अन्य विषयों में ही परिश्रम करता है, वह शूद्र बन जाता है। – मनुस्मृति 2/168

देश के अलग–अलग भौगोलिक हिस्से में कूर्मि समाज को सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग/ अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत लिया गया है, ताकि समुदाय का समुचित शैक्षणिक व सामाजिक विकास हो सके।

वर्तमान उदाहरण:–

1. छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश तथा अन्य राज्यों में कूर्मि समाज को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है।
2. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जन जाति वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है।
3. झारखण्ड राज्य में कूर्मि समाज को वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत है, जबकि 1931 के पूर्व झारखण्ड के कूर्मि समुदाय अनुसूचित जन जाति वर्ग अंतर्गत शामिल था।

शंका 19– भारत देश में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

समाधान :– समाज में व्याप्त हजारों साल से असमानता एवं छूआछूत व अन्य अप्राकृतिक असमानता को समता मूलक समाज में बदलने तथा सब को

समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 अंतर्गत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अंतर्गत विशेष संरक्षण दिया गया; जिसे वर्तमान समय में आरक्षण के नाम से जाना जाता है । जैसे कि प्रत्येक माता-पिता अपने प्रत्येक संतान को संपत्ति में बराबर हिस्सा तथा उनके खान-पान, इलाज आदि की समुचित व्यवस्था करता है ।

शंका 20- क्या कूर्मि समाज में कार्यरत सभी संगठनों को संविलियन किया जाना औचित्यपूर्ण है ?

समाधान : प्रत्येक संगठन का कार्य करने का तरीका, कार्य योजना, क्रियावन्यन एवं उसकी प्राथमिकताएँ पृथक-पृथक होती हैं किन्तु फिर भी कूर्मि समाज का उत्थान ही उसके मूल में है। जब समग्र कूर्मि एकता की बात आती है तब सभी साथ होते हैं। किसी एक संगठन के कार्यक्रमों में दूसरे सभी संगठनों की भी भागीदारी रहती है। प्रत्येक संगठन अपनी विशेषज्ञता के आधार पर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जिसमें समाज के सदस्यों की सहभागिता होती है।

समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, उदासीनता व अनेक विसंगतियों को दूर करना केवल एक ही संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा त्वरित परिणाम के लिए संभव नहीं है। त्वरित व शीघ्र परिणाम के लिए सभी दिशा में समेकित लच्छित (integrated Intervention) प्रयास आवश्यक है । अत: सभी संगठन अपनी प्रकृति व कौशल के अनुरूप समाज हित के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य विभाजित करते हुए किया जावे, जिससे समाज में कम समय पर चहुमुखी विकास परिलक्षित हो ।

समाज विकास हेतु समाज कार्य को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाने के लिए स्थानीय संगठन का उपयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । इस कार्य से बिना किसी संगठन का स्वरूप परिवर्तन किये न केवल परिणाम मूलक कार्य किये जा सकते हैं, बल्कि परस्पर प्रतिस्पर्धा किये बिना आसानी से प्रशिक्षित व दक्ष कार्यकर्ता समाज सेवा के लिए उपलब्ध होंगे ।

शंका 21- अलग-अलग समुदाय को विभिन्न प्रतिशत में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है ?

समाधान:- हमारा संविधान प्राकृतिक न्याय व्यवस्था के सिद्वांत पर आधारित है अर्थात् आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति, जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। बराबरी/समानता और न्यायसंगत दोनों अलग-अलग पहलू है। इसे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।

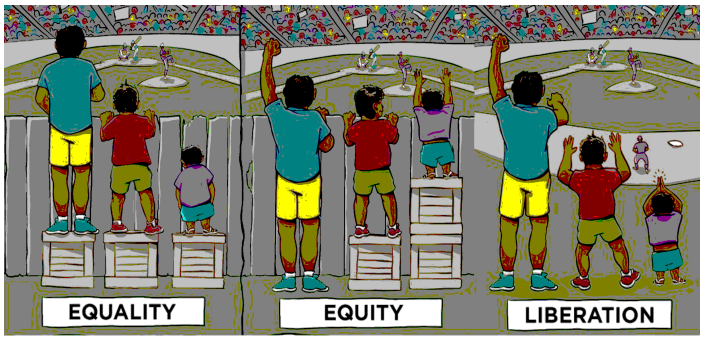

चित्र में वयस्क, किशोर एवं बच्चें को हाथा/ दीवार के दूसरे हिस्से से मैच देखते हुए दिखाया गया है। चित्र के प्रथम भाग में सभी को समान संसाधन उपलब्ध कराने से छोटा बच्चा मैच देखने से वंचित हो जाता है। चित्र के दूसरे भाग में आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने से सभी लोग मैच का आनंद ले सकते हैं। वहीं चित्र के तृतीय हिस्से में बिना बाधा के सभी को समान अवसर दिखाया गया है। आरक्षण व्यवस्था भी इसी प्रकार समतामूलक समाज की स्थापना की भावना को ध्यान में रखकर लागू किया गया है, जिसके गलत व्याख्या से लोगों के मन में दूषित भावना पैदा कर अवसर छिनने का खेल आम जीवन में देखने को मिलता है।

शंका 22- क्या आरक्षण केवल दस साल तक के लिए लागू किया गया था?

समाधान : जो बार-बार कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था, संविधान में 10 साल के आरक्षण की व्यवस्था है। आपको मुफ्त की खाने की आदत है इत्यादि। उसे प्राय: अनारक्षित समुदाय बुद्धिजीवी एवं मीडिया कर्मी

फैलाते रहते हैं कि आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए है, जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर कौन सा आरक्षण दस वर्ष के लिए है तो मुंह से आवाज़ नहीं आती है। इस संदर्भ में केवल इतना जानना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राजनैतिक आरक्षण जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में निहित है, उसकी आयु और उसकी समय-सीमा दस वर्ष निर्धारित की गयी थी। नौकरियों में आरक्षण की कोई समय-सीमा सुनिश्चित नहीं की गयी थी। आरक्षण से जाति नहीं आयी, जाति से आरक्षण आया है। आइए जानें संविधान में आरक्षण/प्रतिनिधित्व की व्याख्या क्या है?

आरक्षण चार प्रकार का है-

1. राजनैतिक प्रतिनिधित्व /आरक्षण (पोलिटिकल रिजर्वेशन)
2. सेवाओं में प्रतिनिधित्व / आरक्षण (सर्विसेज का रिजर्वेशन)
3. शिक्षा में प्रतिनिधित्व / आरक्षण (प्रोफेशनल एज्युकेशन का रिजर्वेशन)
4. पदोन्नति/बढ़ोत्तरी में प्रतिनिधित्व / आरक्षण (रिजर्वेशन इन प्रमोशन)

- अनुच्छेद-330 लोकसभा का रिजर्वेशन है।
- अनुच्छेद- 332 विधानसभा रिजर्वेशन है।
- अनुच्छेद-334 में पोलिटिकल रिजर्वेशन की 10 वर्ष की लिमिटेशन है। सिर्फ पोलिटिकल रिजर्वेशन में ही हर दस साल बाद समीक्षा होनी चाहिए,का प्रावधान रखा गया था।

मूलभूत अधिकार-

- धारा- 15(4)

  1 धारा-16(4)

  संविधान के मूल अधिकार अर्थात
- प्रोफेशनल एज्युकेशन रिजर्वेशन
- सर्विसेज का रिजर्वेशन

1 प्रमोशन इन रिजर्वेशन, यह तीनों संविधान में मूल अधिकार है जिनकी कोई लिमीटेशन नहीं है। संविधान में आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ प्रतिनिधित्व (Representation)से है ।

शंका 23- क्या आरक्षण केवल भारत देश में ही लागू है?

समाधान :- दुनिया के विभिन्न हिस्सों/ देशों में आरक्षण (Reservation / Affirmative Action) दिया जाता है। आजकल हमारे देश में आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी) के विरोध में आंधी सी चल रही है। आरक्षण के खिलाफ बेहूदे और बेतुके तर्क किये जाते हैं। सबसे पहला तर्क होता है कि दूसरे देशो में आरक्षण नहीं दिया जाता इसलिये वे देश हमसे ज्यादा प्रगतिशील हैं; जो कि बिल्कुल गलत है। विदेशों में भी आरक्षण की पद्धति है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में भी आरक्षण है और इसे ईमानदारी व सही नीयत से दिया जाता है।

बाहरी देशों में आरक्षण को सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative Action) कहा जाता है। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब समाज के वर्ण तथा नस्लभेद के शिकार लोगों के लिये सामाजिक समता का प्रावधान प्रदान करना है। 1961 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सभी प्रकार के वर्ण, नस्लभेद व रंगभेद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित सभी देशों ने अपने देश के शोषित वर्ग की मदद करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी फैसले के तहत ही शोषितों और वंचितों को उठाने के लिए अलग-अलग देशों ने अपने-अपने तरीके से आरक्षण लागू किया है।

ऊपर वर्णित देशों जैसे अमेरिका, जापान और भारत इत्यादि के अलावा अन्य देशों ने भी आरक्षण दिया है; जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1. **पाकिस्तान**-हमारे पड़ोसी देश में बड़ी मुश्किल से 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से 6 प्रतिशत आरक्षण (प्रतिनिधित्व) दिया जाता है।
2. **दक्षिण अफ्रीका** - यहाँ के टीम में 4 अश्वेत खिलाड़ियों के लिए स्थान आरक्षित होता है ।
3. **अमेरिका** में सकारात्मक कार्यवाही के तहत अश्वेतों को आरक्षण मिला हुआ है। वहां की फिल्मों में भी अश्वेत कलाकारों का आरक्षण निर्धारित है। वहाँ कोई फिल्म या विभाग ऐसा नहीं मिलेगा; जिसमें अश्वेत (काले) न हों। अमेरिका ने तो आज से 155 साल पहले 4 मार्च 1861

को एक पिछड़े तबके के व्यक्ति, (अब्राहम लिंकन) को अपना राष्ट्रपति बना दिया था। अमेरिका के निवृत्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा भी एक अश्वेत मुस्लिम और छोटे तबके समुदाय से हैं। अमेरिका में सभी लोगों की भागीदारी समान होने के कारण अमेरिका, तरक्की की दुनिया में अन्य देशों से काफी आगे है। भारत में तो सम्पूर्ण हिस्सेदारी पर कुछ वर्ग विशेष द्वारा कुंडली मारकर जबरदस्ती बेजा कब्जा जमा कर रखा गया है। इसीलिये वे समाज में भ्रांति फैलाने के लिए आरक्षण (हिस्सेदारी) का आए दिन विरोध करते रहते हैं।

4. **ब्राज़िल** में आरक्षण को Vestibular नाम से जाना जाता है।
5. **कनाडा** में समान रोजगार का तत्व है, जिसके तहत फायदा वहाँ के असामान्य तथा अल्पसंख्यकों को दिया जाता है।
6. **चीन** में महिला और अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण है।
7. **फिनलैंड** में स्वीडिश लोगों के लिये आरक्षण है।
8. **जर्मनी** में जिमनॅशियम सिस्टम है।
9. **इसरायल** में सकारात्मक कार्यवाही के तहत आरक्षण है।
10. **जापान** जैसे सबसे प्रगतिशील देश में भी बुराकूमिन लोगों के लिये आरक्षण है (बुराकूमिन जापान के हक वंचित पिछड़े तबके के लोग हैं)
11. **मॅसेडोनिया** में अल्बानियन के लिये आरक्षण है।
12. **मलेशिया** में भी उनकी नई आर्थिक योजना के तहत आरक्षण लागू हुआ है।
13. **न्यूजीलैंड** में माओरिस और पॉलिनेशियन लोगों के लिये सकारात्मक कार्यवाही के तहत आरक्षण दिया जाता है।
14. **नॉर्वे** के पीसीएल बोर्ड में 40 प्रतिशत महिला आरक्षण है।
15. **रोमानिया** में शोषण के शिकार रोमन लोगों के लिये आरक्षण है।
16. **दक्षिण आफ्रिका** में रोजगार समता (काले-गोरे लोगों को समान रोजगार) आरक्षण है।
17. **दक्षिण कोरिया** में उत्तरी कोरिया तथा चीनी लोगों के लिये आरक्षण है।
18. **श्रीलंका** में तमिल तथा क्रिश्चियन लोगों के लिये अलग नियम अर्थात आरक्षण है।

19. **स्वीडन** में सामान्य सकारात्मक कार्यवाही के तहत आरक्षण मिलता है। अगर इतने सारे देशों में आरक्षण दिया जाता है (जिनमें कई विकसित देश भी शामिल हैं) तो फिर भारत का आरक्षण किस प्रकार भारत की प्रगति में बाधक है? भारत में तो लोग सबसे ज्यादा जातिभेद के ही शिकार हैं। भारतीय शुद्रों व अनुसूचित जातियों को तो हजारों सालों से उनके मौलिक अधिकारों से ही वंचित कर गुलाम बनाकर रखा गया; तो फिर भारतीय अवसर से वंचित लोगों को आरक्षण क्यों न मिले?

जब तक भारत के सभी जाति धर्म के लोग शिक्षा, सेना, सभी प्रकार की नौकरी, संसाधन तथा सरकार में समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक देश वांछनीय प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर विश्व के अन्य देश प्रगति के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं; तो फिर भारत क्यों नहीं?

शंका 24- क्या आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए है?

समाधान :- आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबों की आर्थिक संरचना दूर करने हेतु सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है और अगर चाहे तो सरकार इन निर्धनों के लिए और भी कई कार्यक्रम चला सकती है; परन्तु आरक्षण हजारों साल से सत्ता एवं संसाधनों से वंचित किये गए समाज के स्वप्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है। प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु संविधान की धारा 15(4), 16(4) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 के तहत कुछ जाति विशेष को दिया गया है।

शंका 25- क्या आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति आगे आते हैं।

समाधान :- क्या दो-दो अलग-अलग ईकाई की तुलना संभव है? उत्तर नहीं ।

क्या ऐसे दो विपरीत परिवेश वाले छात्रों के मध्य भाषा एवं व्यवहार की तुलना की जा सकती है, आईए समझें यह क्या है:-

योग्यता कुछ और नहीं परीक्षा के प्राप्त अंक के प्रतिशत को कहते हैं। प्राप्तांक के साथ साक्षात्कार होता है, वहां प्राप्तांकों के साथ आपकी भाषा एवं व्यवहार को भी योग्यता का मापदंड मान लिया जाता है अर्थात् आरक्षित जाति या अनुसूचित जाति के छात्र ने किसी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये और अनारक्षित जाति के किसी छात्र ने 62 प्रतिशत अंक प्राप्त किये तो क्या आरक्षित जाति का छात्र अयोग्य है

और सामान्य जाति का छात्र योग्य है ?

आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत एवं भाषा ज्ञान एवं व्यवहार के आधार पर योग्यता की अवधारणा नियमित की गयी है, जो कि अत्यंत त्रुटि पूर्ण और अतार्किक है। यह स्थापित सत्य है कि किसी भी परीक्षा में अनेक आधारों पर अंक प्राप्त किये जा सकते हैं। परीक्षा के अंक विभिन्न कारणों से भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि किसी छात्र के पास सरकारी स्कूल था और उसके शिक्षक वहां नहीं आते थे और आते भी थे तो सिर्फ एक। सिर्फ एक शिक्षक पूरे विद्यालय के लिए जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों का हाल है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास किताब नहीं थी, उस छात्र के पास न ही इतने पैसे थे कि वह ट्यूशन लगा सके । स्कूल से आने के बाद गृह कार्य भी करना पड़ता। उसके दोस्तों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वह मास्टर से प्रश्न पूछता तो उत्तर की बजाय उसे डांट मिलती आदि। ऐसी शैक्षणिक परिवेश में अगर उसके परीक्षा के नंबरों की तुलना कान्वेंट में पढ़ने वाले छात्रों से की जायेगी तो क्या यह तार्किक होगा।

वही अनारक्षित समाज के बच्चे के पास शिक्षा की पीढ़ियों की विरासत है। पूरी की पूरी सांस्कृतिक पूँजी, अच्छा स्कूल, अच्छे मास्टर, अच्छी किताबें, पढ़े-लिखे, माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्ते-नातेदार, पड़ोसी, दोस्त एवं मुहल्ला। स्कूल जाने के लिए कार या बस, स्कूल के बाद ट्यूशन या माँ-बाप का पढाने में सहयोग। क्या ऐसे दो विपरीत परिवेश वाले छात्रों के मध्य भाषा एवं व्यवहार की तुलना की जा सकती है? यह तो लाज़मी है कि अनारक्षित समुदाय (सवर्ण) समाज के कान्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा में प्राप्तांक एवं भाषा के आधार पर योग्यता का निर्धारण अतार्किक एवं अवैज्ञानिक नहीं तो और क्या है?

अत: उपरोक्त परिस्थितियों का विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरक्षण, केवल वंचित को अवसर प्रदान कर मुख्यधारा में लाने का एक सकारात्मक कार्यवाही है । योग्यता, अवसर मिलने पर स्वयं पल्लवित होती है ।

शंका 26 - क्या आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है ?

समाधान : भारतीय समाज एक श्रेणीबद्ध समाज है, जो छ: हज़ार जातियों में बंटा है और यह छ: हज़ार जातियाँ हजारों वर्षों से मौजूद है। इस श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था के कारण अनेक समूहों जैसे अनुसूचित जाति, आदिवासी एवं पिछड़े समाज को सत्ता एवं संसाधनों से दूर रखा गया

और इस को धार्मिक व्यवस्था घोषित कर स्थायित्व प्रदान किया गया। इस हजारों वर्ष पुरानी श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए एवं सभी समाजों को बराबर-बराबर का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु संविधान में कुछ जाति विशेष को संरक्षण दिया गया है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गयी है कि वह अपने हक की लड़ाई एवं अपने समाज की भलाई एवं बनने वाली नीतियों को सुनिश्चित कर सके। अत: यह बात साफ़ हो जाती कि जातियां एवं जातिवाद भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान था। प्रतिनिधित्व (आरक्षण), इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए लाया गया न की इसने जाति और जातिवाद को जन्म दिया है।

अत: यह बात फिर से प्रमाणित होती है कि आरक्षण जाति और जातिवाद को जन्म नहीं देता बल्कि जाति और जातिवाद लोगों की मानसिकता में पहले से ही विद्यमान है; जिसे समतामूलक समाज बनाने के उद्देश्य से आरक्षण लागू किया गया है ।

शंका 27- क्या आरक्षण के माध्यम से अनारक्षित/सवर्ण समाज की वर्तमान पीढ़ी को दंड दिया जा रहा है ?

समाधान : आज की अनारक्षित पीढ़ी अक्सर यह प्रश्न पूछती है कि हमारे पुरखों के अन्याय, अत्याचार, क्रूरता, छलकपट आदि की सजा आप वर्तमान पीढ़ी को क्यों दे रहे हैं?

इस संदर्भ में आज की सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूँजी का किसी न किसी के रूप में लाभ उठा रही है। वे अपने पूर्वजों के स्थापित किये गए वर्चस्व एवं ऐश्वर्य का अपनी जाति के उपनाम, अपने कुलीन उच्चवर्णीय सामाजिक तंत्र, अपने सामाजिक मूल्यों, एवं मापदंडों, अपने तीज-त्योहारों, नायकों, एवं नायिकाओं, अपनी परम्पराओं एवं भाषा और पूरी की पूरी ऐतिहासिकता का उपभोग कर रहे हैं।

अत: आरक्षण केवल अवसर से वंचित समुदाय को मुख्यधारा में सहभागिता हेतु लाया गया है, न कि किसी को दण्ड देने के लिए । यह तो केवल देखने के नजरिया मात्र ही है ।

जरा चिन्तन करें.....

मंदिरों में पुजारी रखा जाता है	...	जाति देखकर
कमरा किराये पर दिया जाता है	....	जाति देखकर
मकान बेचा जाता है	...	जाति देखकर
शादी विवाह कराये जाते हैं	...	जातियाँ देखकर
वोट दिया जाता है	...	जाति देखकर
मृत पशु उठवाये जाते हैं	...	जाति देखकर
गाली दी जाती है	...	जाति देखकर
साथ खाना खाते हैं	...	जाति देखकर
बेगारी कराई जाती है	...	जाति देखकर
धिक्कारा जाता है.	...	जाति देखकर
बाल काटे जाते हैं	...	जाति देखकर

शंका 28- ब्राह्मण जाति है अथवा वर्ण है? ब्राह्मण शब्द को लेकर भ्रांतियां को स्पष्ट करें।

ब्राह्मण शब्द को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हिन्दू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जातिवाद है। ब्राह्मण शब्द का सत्य अर्थ को न समझ पाने के कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला है। ब्राह्मण वर्ण है जाति नहीं। वर्ण का अर्थ है चयन या चुनना और सामान्यत: शब्द वरण भी यही अर्थ रखता है। व्यक्ति अपनी रूचि, योग्यता और कर्म के अनुसार इसका स्वयं वरण करता है, इस कारण इसका नाम वर्ण है। वैदिक वर्ण व्यवस्था में कार्य के आधार पर चार वर्ण है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

उदाहरण:-

पढ़ने-पढ़ाने से, चिंतन-मनन करने से, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्यभाषण आदि व्रतों का पालन करने से, परोपकार आदि सत्कर्म करने से, वेद, विज्ञान आदि पढने से, कर्तव्य का पालन करने से, दान करने से और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने से मनुष्य का यह शरीर ब्राह्मण हो

जाता है। – मनुस्मृति 2/28

शंका 29– मनुष्यों में कितनी जातियाँ हैं ?

समाधान– मनुष्यों में केवल एक ही जाति है। वह है 'मनुष्य'। अन्य की जाति नहीं है।

जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। न्याय सूत्र यही कहता है 'समान प्रसवात्मिका जाति:' अथवा जिनके जन्म का मूल स्त्रोत समान हो (उत्पत्ति का प्रकार एक जैसा हो) वह एक जाति बनाते हैं। ऋषियों द्वारा प्राथमिक तौर पर जन्म–जातियों को चार स्थूल विभागों में बांटा गया है।

उद्भिज (धरती में से उगने वाले जैसे पेड़, पौधे, लता आदि),

अंडज (अंडे से निकलने वाले जैसे पक्षी, सर्प आदि),

पिंडज (स्तनधारी– मनुष्य और पशु आदि),

उष्मज/स्वेदज़ (तापमान तथा परिवेशीय स्थितियों की अनुकूलता के योग से उत्त्पन्न होने वाले – जैसे सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, बैक्टेरिया आदि।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी तरह भिन्न जातियाँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि न तो उनमें परस्पर शारीरिक बनावट (इन्द्रियादि) का भेद है और न ही उनके जन्म स्त्रोत में भिन्नता पाई जाती है।

बहुत समय बाद जाति शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होने लगा और इसीलिए हम सामान्यतया विभिन्न समुदायों को ही अलग जाति कहने लगे। जबकि यह मात्र व्यवहार में सहूलियत के लिए हो सकता है। सनातन सत्य यह है कि सभी मनुष्य एक ही जाति हैं।

शंका 30– चार वर्णों का विभाजन का आधार क्या है?

समाधान– वर्ण बनाने का मुख्य प्रयोजन कर्म विभाजन है। वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति की योग्यता है। आज भी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनता है। जन्म से कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं।

वर्ण–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए प्रयुक्त किया गया सही शब्द–वर्ण है, जाति नहीं। सिर्फ यह चारों ही नहीं बल्कि आर्य और दस्यु भी वर्ण कहे गए हैं। वर्ण का मतलब है; जिसे वरण किया जाए (चुना जाए)। अत: जाति ईश्वर प्रदत्त है जबकि वर्ण अपनी रूचि से अपनाया जाता है। इसी कारण वैदिक धर्म (वर्णाश्रम धर्म कहलाता है) वर्ण शब्द का तात्पर्य ही यह है कि वह चयन की पूर्ण स्वतंत्रता व गुणवत्ता पर आधारित है।

जैसे:–

बौद्धिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों ने **ब्राह्मण** वर्ण को अपनाया है।

समाज में रक्षा कार्य व युद्ध शास्त्र में रूचि योग्यता रखने वाले **क्षत्रिय** वर्ण के हैं ।

व्यापार–वाणिज्य और पशु–पालन आदि का कार्य करने वाले **वैश्य** तथा जिन्होंने इतर सहयोगात्मक कार्यों का चयन किया है वे **शूद्र** वर्ण कहलाते हैं।

ये मात्र आजीविका के लिए अपनाये जाने वाले व्यवसायों को दर्शाते हैं, इनका जाति या जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं है।

शंका 31– कोई भी ब्राह्मण जन्म से होता है अथवा गुण, कर्म और स्वभाव से होता है ?

समाधान– वैदिक संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति जन्मत: शूद्र ही माना जाता है। उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ण निर्धारित किया जाता है। शिक्षा पूर्ण करके योग्य बनने को दूसरा जन्म माना जाता है। ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका दूसरा जन्म (विद्याजन्म) होता है। किसी भी कारणवश अशिक्षित रहे मनुष्य शूद्र ही रहते हुए अन्य वर्णों के सहयोगात्मक कार्यों को अपनाकर समाज का हिस्सा बने रहते हैं।

व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही होता है। जन्म के आधार पर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उसके वर्ण का चयन होता हैं। कोई व्यक्ति अनपढ़ हो और अपने आपको ब्राह्मण कहे तो वह गलत है।

उदाहरण:-

जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हिरण सिर्फ नाम के लिए ही हाथी और हिरण कहे जाते हैं। वैसे ही बिना पढ़ा ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है-मनुस्मृति 2/157

शंका 32- क्या ब्राह्मण पिता की संतान ही ब्राह्मण कहलाता है ?

समाधान- यह भ्रान्ति है कि ब्राह्मण पिता की संतान ही ब्राह्मण कहलाएगा । क्योंकि जैसे एक डॉक्टर की संतान तभी डॉक्टर कहलाएगा; जब वह चिकित्सकीय परीक्षा (एमबीबीएस) उत्तीर्ण कर लेगा। जैसे एक इंजीनियर की संतान तभी इंजीनियर कहलाएगा; जब वह बीई/बीटेक उत्तीर्ण होगा । वैसे ही ब्राह्मण एक अर्जित किए जाने वाली **पुरानी उपाधि** है।

यदि ब्राह्मण का पुत्र विद्या प्राप्ति में असफल रह जाए तो शूद्र बन जाता है। इसी तरह शूद्र या दस्यु का पुत्र भी विद्या प्राप्ति के उपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण को प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था विशुद्ध रूप से गुणवत्ता पर आधारित है। जिस प्रकार शिक्षा पूरी करने के बाद आज उपाधियाँ दी जाती हैं उसी प्रकार वैदिक व्यवस्था में यज्ञोपवीत दिया जाता था। प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य कर्म का पालन व निर्वहन न करने पर यज्ञोपवीत वापस लेने का भी प्रावधान था।

मनु का उपदेश देखें-

(क) ब्राह्मण शूद्र बन सकता और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। -मनुस्मृति 10/64

(ख) जो मनुष्य नित्य प्रातः और सांय ईश्वर आराधना नहीं करता उसको शूद्र समझना चाहिए। -मनुस्मृति 2/103

(ग) जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता वह शूद्र के ही समान है। -मनुस्मृति 2/172

(घ) ब्राह्मण- वर्णस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ -अतिश्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हुए और नीच- नीचतर व्यक्तिओं का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ठ बनता जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है। -मनुस्मृति 4/245

शंका 33- प्राचीनकाल में ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ता था?

समाधान- प्राचीनकाल में ब्राह्मण बनने के लिए शिक्षित और गुणवान उच्च चारित्रिक गुण वाला होना आवश्यक था। जैसे बाल्मिकि उच्च चारित्रिक गुण के कारण बाह्मणत्व को प्राप्त किए।

आइए, इसे हम चिंतन करते हैं :-

वैदिक वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन काल में तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सामाजिक व्यवस्था के लिए कर्म/कार्य/वर्ण आधारित व्यवस्था बनाया गया था।

वर्ण बनाने का मुख्य प्रयोजन कर्म विभाजन है। वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति की योग्यता है। आज भी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनता है। जन्म से कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं।

वर्ण का अर्थ है चयन या चुनना और सामान्यत: शब्द वरण भी यही अर्थ रखता है। व्यक्ति अपनी रूचि, योग्यता और कर्म के अनुसार इसका स्वयं वरण करता है, इस कारण इसका नाम वर्ण है। वैदिक वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

वेदों में अति परिश्रमी कठिन कार्य करने वाले को शूद्र कहा है (तपसे शूद्रम' यजु.30.5), और इसीलिए पुरुष सूक्त शूद्र को सम्पूर्ण मानव समाज का आधार स्तंभ कहता है। चार वर्णों से अभिप्राय यही है कि मनुष्य द्वारा चार प्रकार के कर्मों को रूचि पूर्वक अपनाया जाना। वेदों के अनुसार, एक ही व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में चारों वर्णों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अत: प्रत्येक व्यक्ति चारों वर्णों से युक्त है। तथापि हमने अपनी सुविधा के लिए मनुष्य के प्रधान व्यवसाय को वर्ण शब्द से सूचित किया है।

शंका 34- ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है ?

समाधान- ब्राह्मण एक गुणवाचक वर्ण है। समाज का सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान, शिक्षित, समाज का मार्गदर्शन करने वाला, त्यागी, तपस्वी व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी बनता है। इसीलिए, ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है।

आजकल कुछ लोग केवल इसलिए अपने आपको ब्राह्मण कहकर जाति का अभिमान दिखाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। यह सरासर गलत है। योग्यता अर्जित किये बिना कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। हमारे प्राचीन ब्राह्मण अपने तप से अपनी विद्या से अपने ज्ञान से सम्पूर्ण संसार का मार्ग दर्शन करते थे। इसीलिए हमारा आर्यव्रत देश विश्वगुरु था। ब्रह्म चर इति ब्राह्मण:।

शंका 35- क्या शूद्र, ब्राह्मण और ब्राह्मण, शूद्र बन सकता है?

समाधान- ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्ण क्योंकि गुण, कर्म और स्वाभाव के आधार पर विभाजित है। इसलिए इनमें परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अपितु शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उसके वर्ण का निर्धारण होता है।

वैदिक इतिहास में वर्ण परिवर्तन के अनेक प्रमाण उपस्थित हैं।

जैसे -

(1) ऐतरेय ऋषि दास अपराधी के पुत्र थे; परन्तु उच्चकोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है।

(2) ऐलूष ऋषि दासी पुत्र थे। जुआरी और हीन चरित्र के भी थे, परन्तु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसन्धान करके अनेक आविष्कार किये। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। (ऐतरेय ब्राह्मण 2.19)

(3) सत्यकाम जाबाल गणिका (वेश्या) के पुत्र थे; परन्तु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए।

(4) राजा दक्ष के पुत्र पृषध शूद्र हो गए थे। प्रायश्चित स्वरुप तपस्या कर के उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। (विष्णु पुराण 4.1.14)

(5) राजा नेदिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। पुन: इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। (विष्णु पुराण 4.1.13)

(6) धृष्ट नाभाग के पुत्र थे जो ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। आगे उन्हीं के वंश में पुन: कुछ ब्राह्मण हुए। (विष्णु पुराण 4.2.2)

(7) विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोतर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए तथा राजपुत्र अग्निवेश्य ब्राह्मण हुए। (विष्णु पुराण 4.3.5)

(8) क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। (विष्णु पुराण 4.8.1) वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्मभेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रवर्ण के हुए। इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समति और वीतहव्य भी क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के उदाहरण हैं।

(9) मातंग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने।

(10) ऋषि पुलस्त्य का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना।

(11) राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ।

(12) त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे।

(13) विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे; परन्तु बाद उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया।

(14) विदुर दासी पुत्र थे। तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया।

उदाहरणः-

(क) माता-पिता से उत्पन्न संतति का माता के गर्भ से प्राप्त जन्म साधारण जन्म है। वास्तविक जन्म तो शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत ही होता है। - मनुस्मृति 2/147

(ख) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण विद्याध्ययन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। विद्याध्ययन न कर पाने वाला शूद्र चौथा वर्ण है।
-मनुस्मृति 10/4

शंका 36- क्या आज जो अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं वही हमारी प्राचीन विद्या और ज्ञान की रक्षा करने वाले प्रहरी थे?

समाधान- आजकल जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अगर प्राचीन ब्राह्मणों केसमान वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है तब तो वह निश्चित रूप से ब्राह्मण के समान सम्मान का पात्र है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म के विपरीत कर्म कर रहा है तब

वह किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। एक उदहारण लीजिये, एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, शाकाहारी है, चरित्रवान है और धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है। उसका वर्ण ब्राह्मण कहलायेगा चाहे वह शूद्र पिता की संतान हो। उसके विपरीत एक व्यक्ति अनपढ़ है, चरित्रहीन है और किसी भी प्रकार से समाज हित का कोई कार्य नहीं करता, चाहे उसके पिता कितने भी प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो, किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ब्राह्मण वैदिक व्रतों से जुड़े हुए कर्म अर्थात धर्म का पालन करना अनिवार्य है। प्राचीनकाल में धर्म रूपी आचरण एवं पुरुषार्थ के कारण ब्राह्मणों का मान था।

इसके माध्यम से वैदिक विचारधारा में ब्राह्मण शब्द को लेकर सभी भ्रांतियों के निराकरण का प्रयास किया है। ब्राह्मण शब्द की वेदों में बहुत महत्ता है। मगर इसकी महत्ता का मुख्य कारण जन्मना ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कर्मणा ब्राह्मण होना है। मध्यकाल में हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था बदल कर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। विडंबना यह है कि इस बिगाड़ को हम आज भी ढो रहे हैं। जातिवाद से हिन्दू समाज की एकता समाप्त हो गई। भाई-भाई में द्वेष हो गया। इसी कारण से हम कमजोर हुए तो विदेशी विधर्मियों के गुलाम बने।

शंका 37- क्या भारत में आरक्षण संविधान लागू होने के बाद से है?

समाधान :- नहीं। भारत में संविधान लागू होने के पूर्व से ही विभिन्न रूपों में आरक्षण लागू है, जिसकी व्याख्या मात्र अलग है। आइए जानते है कि भारत में हजारों सालों से आरक्षण की स्थिति क्या स्थिति है :-

संविधान लागू होने के पूर्व देश में लागू आरक्षण की स्थिति:-

(अ) पुराणों में दिए गए आरक्षण :-

1. यज्ञ करना कराना, दान लेना, पूजा व ज्ञानार्जन शिक्षा में **100 प्रतिशत** आरक्षण **ब्राह्मणों** को पूर्व से ही मिल रहा है।

   । पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दान लेना यह सब ब्राह्मण के कर्म हैं. मनुस्मृति (अध्याय:1: श्लोक: 87)

2. सम्पत्ति रखने, शिक्षा व राज पाठ में **100 प्रतिशत** आरक्षण **क्षत्रियों** को पूर्व से ही मिल रहा है।

। प्रजा रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना यह सब क्षत्रिय के कर्म हैं. मनुस्मृति (अध्याय:1: श्लोक: 89)

3. व्यापार करना,दान देना,**100 प्रतिशत** आरक्षण **वैश्य** को पूर्व से ही मिल रहा है।

। व्यापार करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना सुद(ब्याज) लेना यह वैश्य का कर्म हैं. (अध्याय:1: श्लोक: 90)

4. तीनों वर्णो की सेवा, में **100 प्रतिशत** आरक्षण **शुद्रों** का था।

। द्वेष भावना रहित,आंनदित होकर उपर्युक्त तीनो-वर्गो का नि:स्वार्थ सेवा करना, यह शूद्र का कर्म है. (अध्याय:1: श्लोक: 91)

(ब) विभिन्न स्वरूपों में समाज में व्याप्त अप्रत्यक्ष आरक्षण :-

1. नामकरण में आरक्षण :-

प्रत्येक वर्ण की व्यक्तिओं के नाम कैसे हो, यह पूर्व से ही आरक्षित था?:-

। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक-जैसे शर्मा या शंकर, दीक्षित,चौबे इत्यादि

। क्षत्रिय का नाम शक्ति सूचक - जैसे सिंह, ठाकुर, प्रताप सिंह इत्यादि

। वैश्य का नाम धन वाचक पुष्टि युक्त - जैसे शाह या चंद इत्यादि

। शूद्र का नाम निंदित या दास शब्द युक्त-जैसे मणि दास, देवी दास इत्यादि (अध्याय: 2: श्लोक: 31-32)

(2) विवाह के लिए कन्या के चयन में व्याप्त आरक्षण:-

। **ब्राह्मण**-सभी चार वर्ण की कन्यायें पंसद कर सकता है।

। **क्षत्रिय**-ब्राह्मण कन्या को छोड़कर सभी तीनों वर्ण की कन्यायें पंसद कर सकता है।

। **वैश्य**-वैश्य की और शूद्र की ऐसे दो वर्ण की कन्यायें पंसद कर सकता है।

। **शूद्र**- शूद्र वर्ण की ही कन्याएं विवाह के लिए पंसद कर सकता है यानी शूद्र वर्ण से बाहर अन्य वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता ।

(अध्याय: 3: श्लोक: 13)

(3) अतिथि विषयक में व्याप्त आरक्षण:- (अध्याय: 3: श्लोक: 110)

- **ब्राह्मण** के घर केवल ब्राह्मण ही अतिथि गिना जाता हैं (और वर्ण का व्यक्ति नहीं)
- **क्षत्रिय** के घर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ऐसे दो ही अतिथि गिने जाते हैं ।
- **वैश्य** के घर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों द्विज अतिथि हो सकते हैं ।
- **शूद्र** के घर केवल शूद्र ही अतिथि कहलाएगा ।

(4) पके हुए अन्न का स्वरुप में व्याप्त आरक्षण:- (अध्याय: 4: श्लोक: 14)

- **ब्राह्मण** के घर का अन्न अमृतमय ।
- **क्षत्रिय** के घर का अन्न पेय (दुग्ध) रुप ।
- **वैश्य** के घर का अन्न जो है वह अन्न रुप में ।
- शूद्र के घर का अन्न रक्त स्वरुप है यानी वह खाने योग्य ही नहीं है।

(5) शव को कौन से द्वार से ले जाए में आरक्षण ? :-

- **ब्राह्मण** के शव को नगर के पूर्व द्वार से ले जाए ।
- **क्षत्रिय** के शव को नगर के उतर द्वार से ले जाए ।
- **वैश्य** के शव को पश्चिम द्वार से ले जाए ।
- **शूद्र** के शव को दक्षिण द्वार से ले जाए । (अध्याय: 5: श्लोक: 92)

(स) वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से व्याप्त आरक्षण :-

देश में आजादी के 70 साल के पश्चात भी आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ग	जनसंख्या	राजनीति	नौकरी	व्यापार	शिक्षा	जमीन	पण्डिताई
ब्राह्मण	3.5	41	62	10	50	5	100
क्षत्रिय	5.5	15	12	26	16	80	0
वैश्य	6.0	10.5	13	60	12	9	0
कुल हिस्सेदारी	**15**	**66.5**	**87**	**96**	**78**	**94**	**100**
अन्य पिछड़ा वर्ग	52	8	7	8	12.5	5	0
अनुसूचित जाति	16	15	4	1	6	5	0
अनु.जन जाति	7.5	7.5	1	2	2	5	0
अल्पसंख्यक	10.5	3	1	2	1.5	1	0
कुल हिस्सेदारी	**85**	**33.5**	**12**	**4**	**22**	**6**	**0**

स्रोत : Do PT भारत सरकार का रिपोर्ट, राज्यसभा व लोकसभा के प्रस्तुत अभिभाषण तथा समय-समय पर प्रकाशित संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

शंका 38–क्या आरक्षण की सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत ही हो सकता है?

समाधान : नही,यह एक मार्गदर्शी है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह निर्णय पिछड़े वर्गों (अनु जाति, अनु जन जाति, एवं अन्य पिछड़े वर्गों) की कुल आबादी के प्रतिशत के आधार पर लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि कई राज्यो में आरक्षण 50 प्रतिशत से भी अधिक दिया जा रहा है ।उदाहरण –

क्र.	राज्य का नाम	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल प्रतिशत
1.	तमिलनाडू	18	1	0	69
2	कर्नाटक	18	6	49	73
3.	केरल	8	2	40	50
4.	उड़ीसा	16.25	22.5	27	65.75
5	झारखण्ड	14	32	27	73
6.	आंध्रप्रदेश	15	6	25	46
7.	छत्तीसगढ़	13	32	14	59

स्रोत : – राज्यवार प्राप्त प्रशासनीक प्रतिवेदन ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व काफी दयनीय है । अक्सर अवसर भोगी लोग समाज में भ्रम पैदा करके राज करने की लालसा अभी भी रखते हैं। दुर्भाग्य से 1931 के पश्चात आबादी के प्रतिशत का आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है। 2011 में हुए आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़े (SECC 2011)जारी होने के बाद इसमें कोई प्रगति परिलक्षित हो पाएगा।

शंका 39–अलग–अलग संगठनों के एकीकृत प्रयास से समाज विकास कैसे किया जाय ?

समाधान : सर्म्पूण विश्व में भिन्न–भिन्न संस्कृति, विचारधारा एवं कार्य प्रणाली पर चलने वाले लोगों का समावेश है। हमारा समुदाय भी इसका छोटा उदाहरण है। कूर्मि समुदाय में अलग–अलग भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न संगठन बनाएं गये हैं। सभी की प्राथमिकताएं, कार्यशैली तथा विशेषताएँ अलग–अलग हो सकती हैं परंतु उद्देश्य केवल और केवल समाज का चहुंमुखी विकास ही होता है।

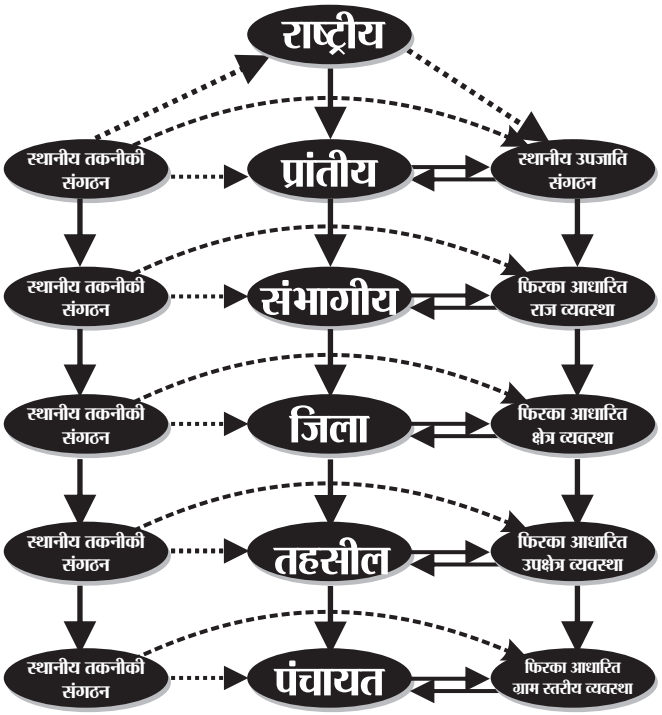

चित्र 1 : जाति आधारित संगठनात्मक व्यवस्था का फ्लो चार्ट

समाज की अधिकतर पृच्छा रहती है कि समाज एक, तो संगठन एक क्यों नहीं? यह इसका सैद्धांतिक पहलू जरूर हो सकता है, परंतु व्यवहारिक पहलू उतना ही चुनौती भरा है। जरा सोचें, एक माता-पिता की संतानें समय व आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, जो कि अलग-अलग दृष्टिगोचर होने के बाद भी परिवार एक भावना में बंधे रहते हैं और एक-दूसरे के विकास में सहयोगी होते हैं। तो क्या इसे समुदाय द्वारा एक परिवार के अंग के रूप में स्वीकृति प्राप्त नहीं होता है? इस व्यवहारिक स्थिति को समझने के बावजूद भी विभिन्न मंचों में कूर्मि-एकीकरण या विलय के लिए आदर्श रूप की परिकल्पना करते हुए भी भ्रम जैसी स्थिति को बढ़ावा क्यों देना चाहिए ?

वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर कार्यरत विभिन्न संगठनों के सहयोग से समाज को कैसे चहुंमुखी विकास की दिशा में ले

जाएं, आईये निम्न लिखित फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे समझते हैं।

चित्र 1 में दर्शित फ्लो चार्ट को हम, केन्द्र और राज्य सरकार एवं आयोग तथा नगरीय निकाय के कार्य प्रणाली के परिप्रेक्षय में समझा जा सकता है । चित्र से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय या प्रदेश स्तर के संगठन का कार्य समन्वय, संगठनात्मक विकास एवं समय-समय पर सुझावात्मक फीडबैक देते हुए स्थानीय संगठन को सुदृढ़ बना कर बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

क्र.	माह	सुझावात्मक गतिविधियाँ	आयोजक संगठन का नाम
1.	जनवरी	सम्मेलन	केन्द्रीय संगठन
2.	फरवरी	सामूहिक विवाह	महिला संगठन
3.	मार्च	होली मिलन	युवा संगठन
4.	अप्रैल	क्षमता विकास प्रशिक्षण/कार्यशाला	तकनीकी संगठन
5.	मई	कृषि व व्यापार संवर्धन कार्यशाला	तकनीकी संगठन
6.	जून	कर्मचारी, व्यापारी, किसान सम्मेलन	स्थानीय उपजाति संगठन
7.	जूलाई	शैक्षणिक परामर्श व प्रशिक्षण	युवा संगठन
8.	अगस्त	स्वास्थ्य व शिविर	राज फिरका संगठन
9.	सितम्बर	अनुभव यात्रा (Exposure Visit)	क्षेत्रीय/फिरका संगठन
10.	अक्टूबर	संगठन विस्तार (पटेल जयंती माह)	केन्द्रीय संगठन
11.	नवम्बर	युवक-युवती परिचय सम्मेलन	युवा / महिला संगठन
12.	दिसम्बर	स्मारिका एवं साहित्य प्रकाशन	तकनीकी/स्थानीय संगठन

तालिका 1 : कार्य विभाजन तालिका कलेण्डर

सही कार्ययोजना व कार्य की प्रकृति तथा विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संगठनों / व्यक्तियों की प्रतिभा का उपयोग तालिका क्र. 1 अनुसार किया जा सकता है । तालिका क्र. 1 के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक, त्रैवार्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन सक्रिय संगठन के माध्यम से समाज में वर्ष भर अनवरत जारी रहे। इससे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी, भ्रम की स्थिति एवं सुप्तावस्था से मुक्त होते हुए निश्चित समय-सीमा में सचेतन अवस्था में समाज का चहुंमुखी विकास हो सकेगा ।

शंका 40- छत्रपति शिवाजी महाराज कूर्मि थे क्या?

समाधान -संयोगवश भारत में गुण-कर्म के स्थान पर जाति को ही महत्व दिया जाता

है। शिवाजी तो हर जाति के व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। राज्याभिषेक के पश्चात् जब उन्होंने क्षत्रिय कुलावंतस, सिंहासनाधीश्वर महाराज छत्रपति की उपाधि धारण की तो भी कुछ लोग उन्हें उच्चकुल के वंशज मानने को तैयार न थे। मराठे सरदार भी उन्हे अपने समकक्ष नहीं मानते थे, क्योंकि उनके दादा-परदादा साधारण कृषक थे। यद्यपि सभी मराठे सरदार कुनबी (कूर्मि)ही थे। तथापि धनी-निर्धन की रेखा से उपर-नीचे बने रहने के कारणवश वे एक दूसरे को तदानुसार छोटा-बड़ा समझते थे। शिवाजी को उदयपुर के राणाओं का वंशज बताने वाली वांवली को मुगल और शिवाजी कालीन इतिहास के सर्वमान्य विद्वान सर यदुनाथ सरकार ने भी पुस्तक के पृष्ठसंख्या 202-203 पर जाली माना है। श्री जी.एस.सरदेषाई ने New history of the Maratha's नामक पुस्तक के पृष्ठ सं.46 पर स्पष्ट किया है कि उदयपुर के राणाओं से भोसले परिवार की उत्पत्ति को प्रमाणिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। फारसी के कुछ फर्मानों की नकल (मूल नहीं) के आधार पर जो **मुधोल** राजा के कब्जे में है, इसका (राणाओं का वंशज होने की बात का) सर्मथन किया जाता है। पर कुछ विद्वान इन्हें जाली समझते हैं। मराठा इतिहास के विद्वान श्री वी. के.राजवाड़े ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मराठा इतिहास के साधन खण्ड - 8, पृष्ठ 132-62 पर शिवाजी के सचिव द्वारा बनाई गई राज्याभिषेक के समय की वंशावली को जाली बनाया हुआ मानते हैं।

मद्रास हाईकोर्ट के 1925 के **कोल्हापुर बनाम सुन्दरम** नामक चर्चित मुकदमा के फैसलें में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के पूर्वजों को **कुनबी** और उत्तर भारत के **कूर्मिजन** को एक जाति माना है।

शंका 41- कूर्मि चेतना पञ्चाङ्ग समाज विकास में किस प्रकार सहायक है?

समाधान-कूर्मि चेतना पञ्चाङ्ग से समाज में जानकारी व जागृति पैदा किया जा सकता है। पञ्चाङ्ग समाज विकास में निम्न प्रकार सहायक है:-

1. कूर्मि पञ्चाङ्ग के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच, परंपरा, भ्रम तथा शंकाओं का तार्किक व वैज्ञानिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
2. पञ्चाङ्ग द्वारा कूर्मि समाज के इतिहास को संदर्भ सहित प्रस्तुत कर आत्मबोध व गौरवशाली परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

3. कूर्मि समाज की नई पीढ़ियों में समाज बोध व महापुरूषों की उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है।
4. समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ नवीन आवश्यकता के अनुरूप समाज की दिशा व दशा निर्धारण के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज (vision documents) देखा ता सकता है।
5. समाज में चेतना का संचार, क्षमता विकास व संवर्धन के लिए माहौल तैयार करना।

इस प्रकार पञ्चाङ्ग के माध्यम से कूर्मि समाज में शिक्षा, सूचना व संचार का प्रसार करते हुए व्यवहार परिवर्तन का कार्य करना। इसके अलावा नई पीढ़ी इसमें Ready Reference Materials के रूप में सरल व सुलभ जानकारी निरंतर प्राप्त कर सकते हैं।

शंका 42- इस पञ्चाङ्ग को लोगों तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं ?

समाधान-कूर्मि चेतना पञ्चाङ्ग को हम निम्न तरीके से लोगों तक समाज के घर-घर पहुँचा सकते हैं:-

1. समाज के विभिन्न आयोजनों के दौरान स्टॉल लगाकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
2. जन्मदिवस, नववर्ष, विवाह व अन्य महोत्सव पर अपने ईष्ट मित्रों को पञ्चाङ्ग उपहार देकर लोगों तक पहुँचा सकते है।
3. भागवत, यज्ञ, रामायण आदि कार्यक्रमों के दौरान अपने चिर परिचितों को पञ्चाङ्ग उपहार देकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
2. अपने-अपने संपर्क के समाजिक व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क कर पञ्चाङ्ग पहुँचा सकते हैं।

शंका43- अनेक फिरकों या उप जातियों में बिखरे कूर्मि समाज के एकीकरण का प्रयास कितना सफल है?

समाधान -हर प्रदेश अपने स्तर पर विभिन्न फिरकों को एक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेश को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय संगठन भी निरंतर प्रयासरत है । इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच के वर्ष 1993 से लगातार प्रयास से 'फिरका तोड़ो नहीं, फिरका जोड़ो' के नारे को लेकर प्रदेश में निवासरत 25 फि रकों/

उपजातियों में से 22 फिरकों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। मात्र तीन फिरके ही शेष रह गए; जिन्होंने अपने फिरके के संविधान में अब तक उस बिंदु को विलोपित नहीं किया है, अर्थात् अन्य फिरकों में विवाह संबंध स्थापित करने पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बिन्दु को विलोपित करने उन तीनों फिरकों को अब भी समझाइस दी जा रही है। शीघ्र सफलता मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

शंका44- छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच ने कूर्मि पुरोहित बनाकर उनसे कर्मकांड कराने की व्यवस्था शुरू की है, क्या इससे जातीय संतुलन बिगड़ने का खतरा नहीं है?

समाधान - हर व्यक्ति, परिवार व समाज को अपने समेकित विकास का स्वाभाविक अधिकार है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर भी प्रभावशाली बदलाव देखा जा सकता है। ज्ञान सर्वोपरि है, तदनुसार उसकी स्वीकार्यता एवं सम्मान भी निर्विवाद है। प्राचीन समय में ज्ञान प्राप्त करने एवं उसे समाज में बॉटने का अधिकार केवल ब्राम्हणों के पास था, किन्तु अब अन्य समाज के लोग भी ज्ञानार्जन के साथ ही ब्राम्हणत्व को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसे कूर्मियों ने भी चुनौती पूर्वक स्वीकार किया है। जब अपने परिवार-समाज संचालन में कर्मकांड से संबंधित अपेक्षित ज्ञान का अभाव था तब कथित तौर पर ज्ञानी कर्मकांडी पंडित पर हम आश्रित रहे,बहुत हद तक अब भी हैं। धीरे-धीरे इस ज्ञान को विकसित करने की योजना बनाई गई। चेतना मंच के द्वारा, बिलासपुर (छ.ग.) में पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर कर्मकांड के लिए कूर्मि पुरोहित तैयार किए गए। अब हम अपने परिवार-समाज के कुशल संचालन व प्रबंधन के लिए आगे पंडित आयात न करने व आश्रितता समाप्त करने की दिशा में दक्षतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे ज्ञानार्जन करने एवं ज्ञान - आधारित आश्रितता समाप्त करने पर जातीय संतुलन में कोई खतरा है।

शंका 45- कूर्मि समाज के समग्र विकास हेतु त्वरित किये जाने वाले कौन-कौन से कार्य हैं? कृपया विस्तार से व्याख्या कीजिए ।

समाधान :-भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश का 85 प्रतिशत हिस्सा कृषि व कृषि

व्यवसाय पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में कूर्मि समाज के 95 प्रतिशत लोग परंपरागत कृषि कार्य से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं। भारत देश में वर्ष 2019 की स्थिति में लगभग 28.75 करोड़ कूर्मि समुदाय के लोग हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, आंन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड जैसे 10 प्रमुख राज्यों में कूर्मियों की संख्या प्रत्येक राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या का 57.78 प्रतिशत जनसंख्या कूर्मि समूदाय का है। कुल आबादी के हिसाब से देखें तो क्रमशः महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाड़ु, उत्तरप्रदेश ऐसे राज्य हैं; जहॉ पर कूर्मियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 57.78, 47.78, 29.81, 29.65, 26.65, 22.74, 22.67, 22.12, 19.85, 18.58 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी के लिए केवल 1 या दो दिन के कार्यक्रम या सम्मेलन से समाज की दशा व दिशा बदलने की बात करना ख्याली पुलाव ही होगा। हमें समाज के लिए ठोस कार्ययोजना व रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खाद्य आधारित उत्पादन से दिन प्रतिदिन नए आयाम गढ़ रहे हैं; जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में चिर स्थाई व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य शीर्ष पर होगा। अतः हमारे कूर्मि समाज द्वारा आगामी दिवसों में अवसर आधारित कार्य की ओर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्य से न केवल हमारी सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम होगी बल्कि रोजगार के भी नवीन अवसर बढ़ेंगे।

अब समाजिक संगठनों को परिणामूलक कार्य करते हुए विकासात्मक कार्य को एजेण्डा में शामिल करते हुए समय के अनुकूल कार्ययोजना निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते है कि किन -किन क्षेत्रों में आमागी 5 वर्षों के लिए कूर्मि संगठन को परिणाममूलक कार्य करने की जरूरत हैः-

1. **संगठनात्मक नेटवर्किंग व जिम्मेदारी का चिन्हांकनः**-पूरे राज्य व राष्ट्र में कार्यरत कूर्मि संगठनों को सूचीबद्व करते हुए उनके प्रकृति व कार्य

विशेषता तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए सालभर के लिए रोस्टर निर्धारित कर कार्यक्रम कियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस कार्य से सभी संगठन को न केवल अपनी क्षमता के आधार पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना होगा, बल्कि कार्यक्रम दुहराव से बचते हुए समाज को विभिन्न विकासमूलक कार्य शीघ्रता से मिलेगा। इस प्रकार जिम्मेदारी के चिन्हांकन व बंटवारे से समाज में परिणाममूलक कार्य को गति मिलेगी।

2. **फूड़ प्रोसेसिंग आधारित व्यवसाय:**– कूर्मि समाज अनाज उत्पादन में अग्रणी है, किन्तु उसका प्रासेसिंग के क्षेत्र में भागीदारी लगभग न्यून है। हम सालभर मेहनत करके जितनी भी कमाई करते हैं; बनिया या विचौलिया वर्ग केवल 1 माह में 10 गुना कमाई करके समृद्धि प्राप्त कर दिन दूनी रात चौगुनी कमाई कर रहे हैं। कूर्मि समाज जमीन से जुड़ा है और यदि वे फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय में कदम रखेंगे तो संसाधन व व्यवसाय एक होने से व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। इस हेतु सभी समाज प्रमुख/संगठनों को अपने एजेंडा में शामिल करते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना अति आवश्यक है। इस व्यवसाय को कृषि विभाग द्वारा विशेष प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। समाज प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि समाज से कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों का 'एग्रो मिट' का आयोजन कर विभाग से मिलने वाले अनुदान व सब्सिडी का लाभ समाज के लोगों को मिले इस दृष्टिकोण से ठोस रणनीति का निर्माण किया जावे।

3. **एग्रो बिजनेस आधारित आऊटलेट्स व नेटवर्किंग:**– कृषि कार्य से जुड़े होने से अधिकतर कृषि आधारित उत्पादों जैसे खाद, कीटनाशक दवाईयॉं, उच्च गुणवत्ता के अनाज की बिक्री जैसे एग्रो बिजनेस आधारित आऊटलेट्स को बढ़ावा देने जैसे कार्य सामाजिक संगठनों को प्रमुखता से करना होगा। इस प्रकार के कार्य से समाज के शिक्षित युवाओं को न केवल व्यवसाय मिलेगा बल्कि समाज को बनिया या बिचौलिया लोगों के धोखा से भी मुक्ति मिलेगी। इस व्यवसाय में अधिकतर ग्राहक भी हमारे समाज से हैं और उत्पादक भी कूर्मि समाज से ही हैं।

4. **उन्नत व बाजार आधारित कृषि:**–समाज प्रमुखों का कार्य अपने समाज के सभी लोगों को उन्नत कृषि व बाजार आधारित कृषि के लिए प्रेरित करने व

आदान–प्रदान (एक्सपोज़र विजिट) भ्रमण यात्रा के माध्यम से माहौल तैयार करने का कार्य होना चाहिए। हर प्रदेश के समाज को इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।

5. **समाजिक प्रतिभाओं का चिन्हांकन व समाज विकास में उपयोग:**– समयानुसार कूर्मि समाज के भी उच्च पदों में पदस्थ अधिकारियों व व्यवसायिओं का चिन्हॉकन करते हुए उनके ज्ञान का उपयोग कर कार्यक्रम आयोजन कर उनके विशेषज्ञता व ज्ञान का लाभ समाज के लोगों तक पहुचांने की महती जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की होनी चाहिए।

6. **थीम आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन:**–कूर्मि समाज में नई प्रतिभाओं को निखारने व उन्हें उचित माहौल प्रदान करने के लिए थीम आधारित कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की महती आवश्यकता है। जैसे खेल, सांस्कृतिक संवर्धन, कवि सम्मेलन, साहित्य व विचार गोष्ठी का आयोजन इत्यादि।

7. **स्वावलंबी आधारित पुरोहित निर्माण:**–आज पूरे समाज में समस्त पूजा पाठ हवन संस्कार, मंदिर के पुजारी का ही एकाधिकार केवल तथाकथित ब्राम्हण जाति के पास ही आरक्षित है; भले ही उसमें ज्ञान शिक्षा कुछ भी हो फिर भी हम लोग इनके गुलाम बने हुए हैं। हमारा आर्थिक शोषण कर वे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हम पर राज कर रहे हैं। इन्हीं रूढ़िवादी परंपरा एवं दकीयानूकसी सोच व विचारधारा को दूर करने तथा समाज के लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने व आर्थिक शोषण से बचाने हेतु स्वजातियों को ही पुरोहित कर्म में प्रशिक्षित करने के अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए; ताकि समाज के ही लोग अपने बीच समाज में जाकर सभी प्रकार के पूजा पाठ, हवन, संस्कार, पर्व , पूजन, गृह प्रवेश आदि कार्यक्रम सम्पन्न करा सकें। इससे साथ ही प्राप्त धनराशि का समाज हित में उपयोग कर समाज को आगे बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

8. **कृषि से जुड़े व्यवसाय के क्षेत्र में भागीदारी:**– कूर्मि समाज का जीवकोपार्जन कृषि आधारित है। निश्चित रूप से हमें वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए कृषि से जुड़े व्यवसाय की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता

है। जैसे पोल्ट्री फार्म, मछली उत्पादन, फूलों की खेती इत्यादि।

9. **उद्योग व व्यवसायिक गतिविधियों का संवर्धन:**-कूर्मि समाज की भागीदारी उद्योग के क्षेत्र में नगण्य है। आगामी समय में समाज की भागीदारी उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ाने की दिशा में सामाजिक संगठन को कार्य करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक रूप में राईस मिल, गन्ना प्रोसेसिंग उद्योग, तेल प्रोसेसिंग उद्योग इत्यादि।

10. **कैरियर काऊंसलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा:**-कूर्मि समाज के आगामी पीढ़ियों को समुचित मार्गदर्शन देने हेतु समाज के द्वारा कैरियर काऊंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन नियमित किया जाना होगा; ताकि समाज के बच्चों को भविष्य के लिए सही दिशा मिल सके।

11. **विभिन्न कार्य आधारित समूहों का सम्मेलन व सामाजिक संवर्धन:**- वर्तमान समय में कूर्मि समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों को उन्हें समाज विकास की मुख्यधारा में जोड़ने की पहल किया जाना होगा। इसके लिए समाज प्रमुखों के द्वारा उपसमूहों के थीम आधारित भेंट मुलाकात कार्यक्रम, गोष्ठियॉ, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि का आयोजन कर उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे-वकील मीट, शिक्षक सम्मेलन, डॉक्टर सम्मेलन, उद्योगपति भेंट, ठेकेदार जुड़ाव, एग्रो व्यवसाय इवेन्टस इत्यादि। समाज प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करते हुए समाज के अंतिम लोगों तक लाभ पहुँच इस दृष्टिकोण से ठोस रणनीति का निर्माण किया जावे।

    इसके अतिरिक्त भी सामाजिक संगठनों को आमागी 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार क्षेत्रों में परिणाममूलक कार्य करने की जरूरत है:-

    1. संगठनात्मक व नेतृत्व क्षमता विकास।
    2. राजनीतिक क्षेत्र।
    3. व्यवसायिक, प्रबंधन व तकनीकी शिक्षा।
    4. कृषि व व्यवसाय।
    5. प्रशासनिक सेवा।
    6. सूचना प्रौद्योगिकी।

7. अनुसंधान कार्य।
8. खेल।
9. सांस्कृतिक विकास।
10. कानूनी शिक्षा व उपयोग।
11. साहित्य संवर्धन।
12. सामाजिक दायित्वों का निर्वहन

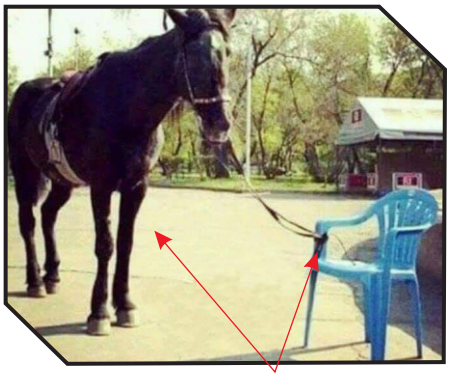

कितनी अजीब बात है कि गुलामी की जब आदत पड़ जाती है तो हर कोई अपनी ताकत को भूल जाता है ।

उपरोक्त गतिविधियों का बंटवारा जिला/संभाग/प्रदेश में कार्यरत विभिन्न संगठनों द्वारा परस्पर समन्वय से किया जाना चाहिए। घ्यान रहे कि समाज का समग्र विकास संयुक्त प्रयास से ही संभाव्य है। उपरोक्त कार्य 5 वर्ष के अंतर्गत प्राथमिकता से किया जाना है। समाज चाहे तो उपरोक्त गतिविधियों के अलावा आवश्यकतानुसार और भी कार्य जोड़ सकते हैं। एक अंतराल में सामाजिक संगठनों की बैठक अनिवार्यत: होते रहनी चाहिए। बैठक से तात्पर्य कम से कम 4 घंटे का परिणामूलक चर्चा व क्रियान्वयन है।

कूर्मि ध्वज गान

हे कूर्मि! क्षत्रिय जाति महान, हे राष्ट्र धर्म, धरती की शान ।
हे शौर्य! शक्ति के महापूंज, हे कर्मठ, धरती के किसान ।।
जागो कूर्मि क्षत्रिय महान...

रघुवंश सूर्य के ज्योति पुंज, तुम रणभेरी की महा गूंज ।
हे वीर शिवा के महावंश, हे लौह पुरूष के लौह अंश ।।
हे इतिहासों के महासपूत, हे देश धरा के क्रांतिदूत ।
अपनी गौरव-गरिमा को जान ।। जागो कूर्मि क्षत्रिय महान...

है शस्त्र तुम्हारा सहज धर्म, हल थाम किया है कृषि कर्म।
युग युग तक देश की शक्ति बन, तुमने ही दिया जीवन का मर्म।
हे वसुन्धरा के महाछत्र, हे इतिहासों के स्वर्ण-पत्र।
तुम देश धरा के महाप्राण ।। जागो कूर्मि क्षत्रिय महान...

अब जागो हमें करना विकास, त्यागो रूढ़ि व अन्धविश्वास ।
नवयुग की इस नव बेला में, हमको करना स्वजाति विकास ।।
नव जागृति की अब ले मशाल, जागो जागो हे नौ निहाल ।
आगे बढ़ना है सीना तान ।।

जागो कूर्मि क्षत्रिय महान...

कूर्मि चेतना गीत

कूर्मि हैं हम कर्म योगी 4
धर्म हमारा सत्य शांति
मानवता के हम हैं योगी।
कूर्मि हैं, हम कर्म योगी।। 4

अन्न उपजाने मिट्टी में, पसीना खुब बहाते हैं। 2
मेहनत के फल बांटकर, सबकी भूख मिटाते हैं।। 2
देश की खातिर, सीमा पर हम 2
अपना शीश चढ़ाते हैं।।
कूर्मि हैं, हम कर्म योगी।। 4

कूर्मियों का देश, भारत कूर्मि शान बढ़ाते हैं। 2
कहीं कुनबी, कम्मा, कुदुम्बी, वक्कालिंगा कहाते हैं।।.....2
अध्यात्म की अंध मोह व अंधविश्वास मिटाते हैं ।.....2
कूर्मि हैं, हम कर्म योगी ।।..... 4

राजपाठ हो हाथों में, तो नया इतिहास बनाते हैं।....2
हर जाति हर राज देश में, एकता का अलख जगाते हैं।....2
चकोर कहे हर मानव को, ये प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। 2
कूर्मि हैं, हम कर्म योगी।। 4

रचयिता-कूर्मि चन्द्रशेखर 'चकोर'

छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच का रजत जयंती वर्ष के दौरान आयोजित कूर्मि महाअधिवेशन की झलकियाँ

दिनांक 10 से 12 नवम्बर 2019

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा पूर्व राज्य सभासांसद आदरणीय रामाधार कश्यप को ''शिखर सम्मान'' प्रदान करते हुए झलकियॉ

महामहिम रमेश बैस (राज्यपाल, त्रिपुरा) द्वारा चेतना मंच ने अपने स्थापना के ''रजतजयंती'' वर्षमेंडाकटिकटभीजारीकरतेहुए झलकियॉ

महामहिम रमेश बैस (राज्यपाल, त्रिपुरा) को सम्मानित करते हुए दृश्य

कूर्मि महाधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर 500 महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा का मनोरम दृश्य

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा प्रकाशित ''चेतना के स्वर'' एवं ''कूर्मि चेतना जागृति''का विमोचन करते हुए झलकियॉ

माननीय मुख्य अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा प्रकाशित ''कूर्मि चेतना पंचाग'', का विमोचन करते हुए झलकियॉ

छत्तीसगढ़ कूर्मि-क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों की झलकियाँ

बिलासपुर | नईदुनिया 13 | बिलासपुर, सोमवार 13 अगस्त 2018

कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच का आयोजन, हरेली झमाझम में गूंजे छत्तीसगढ़ी लोक गीत

अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार...

बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

अरपा पैरी के धार महानदी हे अपार..., ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे..., सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे.. जैसे गीतों के साथ हरेली झमाझम में लोक गीतों से लोक पर्व की खुशियां सजती रही। साथ ही गीतों के माध्यम से लोक परंपरा गौरा-गौरी, राउत उत्सव और सुआ नृत्य से पूरा माहौल छत्तीसगढ़ी समृद्ध परंपरा से सजा रहा।

बिलासपुर। कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार।

रविवार को होटल जीत में कूर्मि क्षत्रियचेतना मंच की ओर से हरेली पर्व के उपलक्ष्य में हरेली झमाझम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों ने जहां हमारी लोक परंपरा को संरक्षण मिलता है। वहीं पूरा समाज भी एक मंच में आकर संगठित होता है। ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि हरेली से ही छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है और त्योहारों से सभी खुशियों और उत्सव का सिलसिला होली तक चलता है। सभी को पहले त्योहार का उत्साह के साथ स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही लोकगीतों का महत्व बताते हुए उसे मजबूती देने की भी बात कही। शुरुआत में अतिथियों ने हरेली पर्व की परंपरा का पालन करते हुए कृषि औजारों का पूजन किया। इसके बाद हरेली झमाझम की प्रस्तुति हुई। मसमें पद्मश्री ममता चंद्राकर, अलका चंद्राकर, छाया चंद्राकर ने प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोगगीतों की प्रस्तुति दी। मससे देर शाम तक छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा सजती रही। दर्शक भी लोकरंग के रंगे कलाकारों के साथ झूमते रहे। एक ओर जहां गीत-संगीत के साथ उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं दूसरी ओर हास्य कलाकार पप्पू चंद्राकर ने सभी को जमकर गुदगुदाया। इस अवसर पर पूरा हॉल भरा रहा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर किशोर राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर, राजेश त्रिवेदी, चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.निर्मल नायक, जिला अध्यक्ष माधव चंद्राकर आदि उपस्थित थे।

चिन्हारी कर रही लोक परंपरा को सहेजने का प्रयास

पद्मश्री ममता चंद्राकर ने होटल जीत कॉन्टिनेंटल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि लोककला और परंपरा को सहेजने के लिए चिन्हारी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि हिन्दी और छत्तीसगढ़ी में गायकी से दोनों की शैलियां कहीं न कहीं एक हो जा रही थी। इस वजह से उस एकरूपता से बचने के लिए छत्तीसगढ़ी गायन को ही प्राथमिकता दी और हिन्दी में गायन नहीं करने का फैसला लिया। माटी से जुड़ी विधा से अपने संस्कार और संस्कृति को संरक्षण मिलता है। इसके साथ ही लोग पारंपरिक कला को

काफी पसंद भी करते हैं। इस वजह से कला में मिलावट नहीं होनी चाहिए। पुरस्कारों के विषय में उन्होंने कहा कि पुरस्कार कलाकार को आगे बढ़ने में काफी प्रोत्साहित करते हैं। एक कलाकार के रूप में हमेशा आगे बढ़ने की भूख रखनी चाहिए। तभी वह निखर सकता है।

---

11 | प्रादेशिक

छत्तीसगढ़ के सभी कुर्मी संगठनों ने संझा किये एक मंच

बिलासपुर । कूर्मि समाज के समग्र विकास के लिए आयोजित कार्यशाला जोकि कूर्मि चेतना मंच के अथक प्रयास से गत दिवस महिंद्रा हाल में सफलता की कहानी के साथ सम्पन्न हुआ।

डॉ नायक ने कार्यशाला के तीन मुख्य उद्देश्य बताते हुए सदन से अपेक्षाएं एवं कार्यशाला की संभावित उपलब्धियां को बताया व अनेक उदाहरण सहित अपनी बात रखी।

तत्पश्चात मंच के महासचिव डॉ जीतेन्द्र सिंगरौल ने बताया कि ओबीसी और कूर्मि समाज पर आज जो अन्याय हो रहा है उन्हें वाजिब हक सरकार से नहीं मिल रहा है। आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित तौर जानकारी प्रस्तुत की गई। निर्णय लिया गया कि ओबीसी और कूर्मि के हक के लिए शासन से न्याय की मांग की जाए। समस्त 24 कूर्मि उपजातिय एवं सभी 10 कूर्मि संगठन को कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने समाज के हित में अनेकों निर्णय लिया है। समाज के ललित बघेल, आलोक चन्द्रवंशी, डॉ हेमंत कौशिक ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अनेक विकास मूलक बाते कहा। आईपीएस बलराम चन्द्रवंशी और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष लता चन्द्राकर तथा लक्ष्मी कुमार गहवई ने समाज हित में अनेक सुझाव रखे।

यह भी निर्णय लिया गया कि नाम से पहले कूर्मि लिखेंगे ताकि एकता प्रदर्शित हो। इसके पूर्व मुक्ति बैस और नंदिनी पाटनवार व भगवती चद्राकर जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने नारी सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं को आगे आने की बात कही। अंतिम दोनों सत्र का संचालन सिद्धेश्वर पाटनवार ने बखूबी निभाया और समाज हित में अनेक रोचक बातें कही। कार्यशाला में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ऋषि चन्द्राकर, मनवा कूर्मि समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष डॉ राम कुमार सिरमौर, चन्द्रा कूर्मि समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष राम रतन चन्द्रा, अथरिया कूर्मि समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कश्यप, एकबईयां कूर्मि समाज के अध्यक्ष बलभद्र कश्यप, चन्द्राकर कूर्मि समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष अश्वनी चन्द्राकर, दिल्लीवार कूर्मि समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र हरमुख, सिंगरौल कूर्मि समाज के अध्यक्ष बिरझे राम सिंगरौल, गबेल कूर्मि समाज अध्यक्ष हजारी लाल गबेल, बैसवार समाज अध्यक्ष पूरन बैस, राजवाड़े कूर्मि समाज के अध्यक्ष भोजराम राजवाड़े, चन्दनिया कूर्मि समाज अध्यक्ष नंदलाल चन्द्राकर, प्रदेश कूर्मि समाज अध्यक्ष विजय बघेल, परगिया कूर्मि समाज से गिरवर प्रसाद वर्मा, भोला कूर्मि ट्रस्ट से मनोज वर्मा, तिरेला कूर्मि समाज से गणेश राम देशमुख, सुरेठी कूर्मि समाज से बद्रीप्रसाद वर्मा, सिंगरौर कूर्मि समाज के अध्यक्ष घासीराम वर्मा, सनाढ्य कूर्मि समाज अध्यक्ष कुशल कौशिक, पाटनवार कूर्मि समाज से कोमल पाटनवार, गहवई कूर्मि समाज के केन्द्राय अध्यक्ष शांतिलाल गहवई, कूर्मि चेतना मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ निर्मल नायक,सहित अन्य वरिष्ठ सामाजिक जनों ने समाज हित मे सुझाव दिए व अपनी बात कही। अनिल चन्द्राकर, लक्ष्मीकांत कौशिक, घनश्याम सिंगरौल, विनोद नायक का विशेष योगदान रहा।बाल संरक्षण आयोग के सदस्य व युवा प्रांतअध्यक्ष दिलिप कौशिक ने आभार व्यक्त किया।

बिलासपुर, अस्मिता और स्वाभिमान–जून–2019 | 22 | आंचलिक

कूर्मि समाज में संस्कार व पूजन कार्य हेतु पुरोहित तैयार

9 कूर्मि पुरोहित बने, सामाजिक रूप से कूर्मि समाज द्वारा पुरोहित प्रशिक्षण का प्रथम आयोजन

बिलासपुर। कूर्मि समाज द्वारा कूर्मि पुरोहित बनाने का बीड़ा उठाया था। इस संदर्भ में प्रज्ञा पीठ चांटीडीह, बिलासपुर में प्रशिक्षण शिविर दिनाँक 5-9 जून 2019 तक आयोजित किया गया था, जिसका समापन के अवसर पर आज दिनांक 9/6/2019 को "प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरण समारोह" संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ कूर्मि- क्षत्रिय चेतना मंच बिलासपुर द्वारा आयोजित पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में जाने-माने साहित्यकार, भाषाविद, एवं वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार श्री नंदकिशोर शुक्ल, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ निर्मल नायक प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कूर्मि -क्षत्रिय चेतना मंच बिलासपुर, अति विशिष्ट अतिथि श्री लक्ष्मी प्रसाद चंद्राकर, श्री प्रह्लद कौशिक (मुख्य प्रशिक्षक), डॉ हेमंत कौशिक, संयोजक पुरोहित प्रशिक्षण, श्री शत्रुहन कश्यप, सहसंयोजक पुरोहित प्रशिक्षण, विशिष्ट अतिथि श्री शंकरलाल पाटनवार, योगाचार्य, थे। समापन समारोह का संचालन

संस्थापक सदस्य इंजीनियर लक्ष्मी कुमार गहवई द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कूर्मि समाज के 9 प्रतिभागियों ने पुरोहित प्रशिक्षण प्राप्त किए। इस प्रशिक्षण में सभी को सामान्य जीवन में उपयोग आने वाले संस्कार एवं कर्मकांड के बारे में बारीकियों से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले में डॉ शारदा कश्यप, श्री हरप्रसाद सिंगरौल, श्री पुरषोत्तम कश्यप, श्री भरत लाल

कश्यप, श्री गिरीश मायाराम कश्यप, श्री अनिल कश्यप, श्री लक्ष्मीनारारण कश्यप, श्री देवप्रसाद कश्यप, श्री केजाराम कश्यप ने पुरोहित प्रशिक्षण प्राप्त किए। आने वाले दिनों में कूर्मी समाज के द्वारा इन प्रशिक्षित पुरोहितों के माध्यम से संस्कार कार्य कराया जाएगा।

कार्यक्रम के उदबोधन अवसर पर पुरोहित प्रशिक्षण के संयोजक डॉक्टर हेमंत कौशिक के द्वारा पुरोहित की जिम्मेदारी एवं उसके माध्यम से समाज में व्यापक रूढ़िवादी परंपरा को शीघ्र सुधार करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंदकिशोर शुक्ल द्वारा कूर्मि समाज के इस कार्य की प्रसंशा करते हुए इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया साथ ही उन्होंने अपने उदबोधन में समाज में व्याप्त ऊंच-नीच , जाति द्वेष को समाप्त करने हेतु इस कार्य को संजीवनी बूटी का नाम दिए। प्रशिक्षित पुरोहित समाज निर्माण के साथ देश निर्माण में भी योगदान निभाने का आह्वान किए। कार्यक्रम के संचालक गहवई द्वारा समाज के सभी लोगों से संस्कार कार्य के लिए स्वजातीय पुरोहित का सहयोग करने का आह्वान किए।

प्रथम पुरोहित प्रशिक्षण के साक्षी बने -कूर्मि डॉ जीतेन्द्र सिंगरौल, कूर्मि रंजना वर्मा, सुखनंदन कौशिक, कोमल पाटनवार, देवनारायण कश्यप, मोहन लाल कश्यप, सुरेश कौशिक, डॉक्टर बीपी चंद्रा, तोषण चंद्राकर, कूर्मि मधु कश्यप, कूर्मि भारती कश्यप, कूर्मि गेंदराम कश्यप, मिथिलेश सिंगरौल, ईश्वरी प्रसाद चंद्राकर लक्ष्मी कौशिक, कूर्मि रेवती कौशिक, कुंती कौशिक, कूर्मि शशि कश्यप, कूर्मि राजू कौशिक आदि के कूर्मि समाज के चिंतनशील लोग उपस्थित हुए।

दैनिक भास्कर
13-Nov-2019
Page 5

आयोजन • समाज के लोगों ने कहा- देश के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान

समाज में रोटी और बेटी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार पर भी बातें होनी चाहिएः भूपेश बघेल

सिटी रिपोर्टर | बिलासपुर

सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान वकील, राजनेता और संगठक थे। देश के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को रतनपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह और कुर्मी महाधिवेशन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। कार्यक्रम में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए।

रतनपुर के महामाया मंदिर परिसर में कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री बघेल ने कुर्मी समाज के लोगों से कहा कि समाज में केवल रोटी और बेटी की बात होती है। यह हमारे समाज के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इनके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की बातें भी होनी चाहिए। राजनैतिक उत्थान की बातें होनी चाहिए। क्योंकि राजनैतिक उत्थान से समाज का उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी और ऋण माफी से किसानों का जीवन स्तर सुधर गया है। आज जिनके पास पंखा नहीं था, उनके पास पंखा है। जिनके पास पंखा था, उसने कूलर लगा लिया है। कूलर वाले एसी लगा रहे हैं और साइकिल वाले फटफटी और फटफटी वाले कार ले रहे हैं। देश में मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। उनका सोचना था कि राज्य बनने से छत्तीसगढ़िया लोगों के हिसाब से नीति बनेगी। उनके हिसाब से बजट तय होंगे और छत्तीसगढ़ के संसाधनों का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. निर्मल नायक ने की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण लक्ष्मी कुमार गहवई ने दिया। कुर्मी समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान निर्माण के लिए ढाई एकड़ जमीन आबंटित करने के साथ ही रतनपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भव्य भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले कुर्मी समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। पूर्व राज्यसभा सांसद रामाधार कश्यप को शिखर सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरूआत सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. खूबचंद बघेल, छत्रपति शिवाजी आदि महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। छत्तीसगढ़ का राजगीत अरपा पैरी की धार.... बजाया गया। लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर राजगीत के प्रति सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को किसानों का महत्वपूर्ण औजार नांगर भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा, जनपद पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष गीतांजली कौशिक, पूर्व विधायक बैजनाथ चंद्राकर, पूर्व महापौर किरणमयी नायक, प्रमोद नायक, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य दिलीप कौशिक, सुखदेव कश्यप, समाजसेवी मनोहर लाल चंदेल सहित कुर्मी समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

रतनपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और कुर्मी महाधिवेशन में शामिल हुए त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस।

नवभारत
Bilaspur City - 13 Nov 2019 - 13nya4

50 लाख में बनेगा सरदार पटेल भवन

कुर्मी समाज के महाधिवेशन समारोह में मुख्यमंत्री ने की ढाई एकड़ जमीन व सामुदायिक भवन की घोषणा

मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कुर्मी समाज के प्रमुखजन.

• नवभारत रिपोर्टर | रायपुर.
www.navabharat.org

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के अवसर पर रतनपुर में आयोजित तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुर्मी सम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के मुखिया ने सरदार पटेल के नाम पर पचास लाख रु. का भव्य सामुदायिक भवन बनाने तथा इसके लिये ढाई एकड़ जमीन देने की घोषणा की. जिस पर कुर्मी समाज के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत कर सत्कार किया.

श्री बघेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महती भूमिका निभाई थी, उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरोध में किसानों की फौज खड़ा कर दी थी, फलस्वरूप देश से अंग्रेज खदेड़ दिए गए, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान भारत वर्ष में है, वर्तमान में देश में दो बड़े कार्य हुए पहला 370 हटाया गया और दूसरा राममंदिर बनाने का फैसला, मैं आप लोगों से पूछता हूं 370 को कौन हटाया मोदी जी ने या अमित शाह ने, सोचकर बताना, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें रोटी और बेटी की बात की जाती है, रोटी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था और बेटी का मतलब घर की इज्जत. श्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार धान 2500 रु. समर्थन मूल्य पर नहीं लेना चाहती.

हमारे प्रदेश से वो कोयला बॉक्साइट ले रही है किंतु धान नहीं लेना चाहती आखिर क्यों, इसलिए हम आंदोलन करने वाले थे किंतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के कारण उस आंदोलन कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ गया.वर्तमान समय मे पूरे देश में मंदी छाई हुई है किंतु हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश के किसानों का धान हमने 2500 रु. के पूरे समर्थन मूल्य पर खरीदा है जिसके चलते प्रदेश के सारे किसान खुशहाल जीवन जी रहे हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन का मंचस्थ अतिथियों भूपेश बघेल, निर्मल नायक, रामाधार कश्यप, मनोहर चन्देल द्वारा किया गया, ततपश्चात छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत मोर छत्तीसगढ़ महतारी का गायन किया गया, अतिथि देवो भव के परम्परानुसार कुर्मी सभा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशालकाय फूल माला पहनाकर गगनभेदी तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, स्वागत करने वालों में समाज के प्रमुख निर्मल नायक, लक्ष्मी गहवई, सत्येंद्र कौशिक, दिलीप कौशिक, देवी चंद्राकर, हरीश चन्देल, शुकदेव कश्यप, पुष्पकान्त कश्यप सहित अन्य शामिल थे.

कुर्मी पंचांग व पुस्तक का विमोचन- इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वजातीय पुस्तक कुर्मी चेतना जागृति, कुर्मी चेतना स्वर तथा कुर्मी पंचांग का भी विमोचन किया, प्रतिभा व शिखर सम्मान, कृषि रत्न, शिक्षा रत्न, सहित समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी उनके द्वारा किया गया. इस गरिमामय अवसर पर जिले के तमाम आला अधिकारियों सहित कुर्मी समाज के धरोहर डॉ. महेंद्र कश्यप, राजेन्द्र चंद्राकर, सन्तोष कश्यप, लखन लाल चन्देल, हरीश चन्देल, रामाश्रय कश्यप, शिवबालक कौशिक, रविन्द्र पाटनवार, यदुनन्दन कौशिक, रोहिणी बैशवाड़े, बबलू कश्यप, जितेंद्र सिंगरौल, नन्दिनी पाटनवार, लक्ष्मीकांत कौशिक, शुखदेव कश्यप सहित प्रदेश के सभी 24 फिरका प्रमुखों व सैकड़ों की संख्या में कुर्मी बंधुओं की उपस्थिति रही.

मान-सम्मान को अमूल्य धरोहर की तरह रखूंगा सहेज कर

कुर्मी महाधिवेशन समापन समारोह के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि रहे त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैश ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी स्वजातीय भाई बंधुओं के अपार स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, छत्तीसगढ़िया होने का मुझे गर्व है, आज इस सामाजिक समारोह में जो मान सम्मान और स्नेह मिला है मैं उसे अमूल्य धरोहर की तरह सहेज कर रखूंगा. श्री बैश के सम्बोधन से पूर्व अतिथि सत्कार के दौरान उनका कुर्मी समाज के प्रमुखों द्वारा माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया, स्वागत से अभिभूत श्री बैश ने समाज के सभी 24 फिरका प्रमुखों का आभार जताया, इस अवसर पर समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुई कुर्मी प्रतिभाएं

समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री के हाथों क्षेत्र के अनेक प्रतिभा सम्पन्न कुर्मी बंधुओं का सम्मान किया गया, कृषि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये पुष्पकान्त कश्यप, जनसेवा व मानवाधिकार के लिए सतत संघर्षरत रहे सत्येंद्र कौशिक, कुर्मी जनप्रतिनिधि के रूप में रोहित कौशिक, विशिष्ट सम्मान प्रमोद नायक, अभय कौशिक सहित अनेक स्वजातीय बंधुओं का सम्मान शाल श्रीफल सहित मोमेंटो प्रदान मुख्यमंत्री के हाथों किया गया.

हल भेंट किया कुर्मी समाज ने

श्री बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह बतौर हल भेंट युवा कुर्मी रोहित कौशिक व सत्येंद्र कौशिक, दिलीप कौशिक द्वारा किया गया, जिसे उन्होंने सस्नेह स्वीकार किया.